राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

(1 मार्च, 2009 के अनुसार)

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

मार्च, 2009

संक्षिप्ताक्षर

एटीएमए–	कृषि प्रबंधन प्रौद्योगिकी समिति
सीआरआरआई–	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
सीएससी–	केन्द्रीय बीज समिति
डीएसी–	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीएफएसएमईसी–	जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति
डीआरआर–	चावल अनुसंधान निदेशालय
डीडब्ल्यूआर–	गेहूं अनुसंधान निदेशालय
जीसी–	महा परिषद
आईसीएआर–	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
इफ्को–	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लि0
आईआईएसएस–	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
आईआईपीआर–	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
आईएनएम–	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन
आइसोपोम –	समेकित तिलहन, दलहन आयलपाम एवं मक्का स्कीम
आईपीएम–	समेकित कीट प्रबंधन
कृभको–	कृषक भारती सहकारिता लि0
केवीके–	कृषि विज्ञान केन्द्र
नेफेड–	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि0
एनएआईपी–	राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना
नेलमोट–	राष्ट्र स्तरीय प्रबोधन दल
एनडीसी–	राष्ट्रीय विकास परिषद
एनएससी–	राष्ट्रीय बीज निगम
एनएफएसएम–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनएफएसएमईसी–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति
एनजीओ–	गैर सरकारी संगठन
क्यूपीआर–	तिमाही प्रगति रिपोर्टें
पीएमटी–	परियोजना प्रबंधन दल
समेटी–	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान
एसएयू–	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एससीपी–	विशेष घटक योजना

एसआरआई–	चावल सघनीकरण पद्धति
एसएफसीआई–	भारतीय राज्य फार्म निगम
एसएफएसएमईसी–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति
एसएससी–	राज्य बीज निगम
टीएसपी–	जनजातीय उप–योजना

विषय–वस्तु

1. प्रस्तावना
2. मिशन के उद्देश्य
3. कार्य नीति
4. मिशन संरचना
5. पंचायती राज संस्थानों की भूमिका
6. खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रचालन क्षेत्र
7. निधि प्रवाह का तंत्र
8. मानीटरिंग
9. सूचना तंत्र
10. मूल्यांकन
11. क्षेत्रों और लाभार्थियों की पहचान संबंधी मानदण्ड
12. वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन संबंधी क्रियाविधि
13. चालू स्कीमों की स्थिति
14. मिशन हस्तक्षेप

अनुबंध-I तकनीकी परामर्शदाताओं की मूलभूत शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव

अनुबंध.II (क) . एनएफएसएम – चावल वाले जिले

अनुबंध.II (ख) . एनएफएसएम – गेहूं वाले जिले

अनुबंध.II (ग) . एनएफएसएम – दालों वाले जिले

अनुबंध.III (क) . एनएफएसएम – चावल/गेहूं/दलहनों के घटकों के लिए सहायता के प्रतिमान

अनुबंध IV प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए योजना व्यय के ब्यौरे

प्रस्तावना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसे अक्तूबर, 2007 के दौरान शुरू किया गया था, क्रियान्वयन के अपने आरम्भिक चरण में अच्छी तरह से चल रहा है। इसके क्रियान्वयन के प्रथम कृषि वर्ष के दौरान इस स्कीम को संचालित करने का अनुभव किसानों को कृषि सेवा की गुणवत्ताप्रद प्रणाली सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया में हुई अच्छी प्रगति के रूप में संतुष्टि प्रदान करने वाला रहा है। राज्य तथा जिला स्तरीय स्वायत्त एजेंसियों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण की व्यवस्था तथा परिणामोन्मुख क्रियान्वयन को उत्प्रेरित करने के लिये समर्पित परियोजना प्रबंधन दलों के साथ मिशन की संकेन्द्रित प्रणाली से समूचे देश में लक्ष्यित राज्यों तथा जिलों में लाखों किसानों को लाभ प्राप्त होता रहा है।

प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों का पहला संस्करण मिशन के उद्देश्यों, कार्यक्रम हस्तक्षेपों तथा सहायता के प्रतिमानों के अनुसार राज्य कार्य योजनाओं के निरूपण तथा क्रियान्वयन में राज्यों के लिए उपयोगी रहा है। तथापि, स्कीम का क्रियान्वयन करते समय विभिन्न राज्यों तथा जिलों ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने, सब्सीडी संचालन में सुस्पष्टता तथा प्रभावी परियोजना प्रबंध के संबंध में व्यावहारिक प्रचालनात्मक समस्याओं को व्यक्त किया। राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के महापरिषद के अनुमोदन से राज्यों की मांग तथा किसानों के बृहत्तर हित को ध्यान में रखते हुये कुछ दिशा-निर्देशों में संशोधन/समावेशन/स्पष्टीकरण के लिये सामयिक परिवर्तन किये गये हैं।

क्षेत्रीय कार्मिकों के लाभार्थ सभी संशोधनों/स्पष्टीकरणों के साथ प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों की संशोधित पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है ताकि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुस्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इन संशोधित दिशानिर्देशों को मिशन के सभी पणधारकों के बीच प्रसारित करेंगी जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस सर्वोत्तम प्रयास में अपना बेहतर योगदान देने में उनको सक्षम बनाया जा सके।

(टी नन्द कुमार)

नई दिल्ली
2 अप्रैल, 2009

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने धान, गेहूं और दलहनों को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए दिनांक 29 मई, 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में एक संकल्प पारित किया ताकि 11 वीं योजना (2011–12) के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तदनुसार उपरिलिखित संकल्प को प्रचालनात्मक बनाने के लिए 2007–08 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन"** को शुरू किया गया है।

1.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 घटक होंगे : 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– धान (एनएफएसएम – धान); 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– गेहूं (एनएफएसएम– गेहूं) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन (एनएफएसएम– दलहन)।

2. मिशन के उद्देश्य

2.1 देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्द्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहनों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी।

2.2 मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण।

2.3 रोजगार अवसरों का सृजन; और

2.4 प्रक्षेप स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सकें।

3. कार्यनीति

3.1 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाएगा:

1. विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों की सक्रिय कार्यशीलता के माध्यम से मिशन मोड में कार्यान्वयन ।

2. किसानों की क्षमता निर्माण के साथ–साथ उन्नत प्रौद्योगिकी अर्थात बीज, समेकित पोषण प्रबंधन के साथ–साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों, मृदा सुधारकों, आईपीएम और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी का विस्तार और संवर्द्धन करना।

3. मिशन के हस्तक्षेपों का समय पर लक्षित लाभानुभोगियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए धनराशि के प्रवाह पर निकट से निगरानी रखी जाए।

4. प्रस्तावित विभिन्न हस्तक्षेपों को जिला योजना के साथ समेकित किया जाए और प्रत्येक अभिज्ञात जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

5. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परिणमोन्मुख दृष्टिकोण के लिए हस्तक्षेपों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए सतत अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन करना।

4. मिशन संरचना

4क. राष्ट्रीय स्तर

4.1 केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक महापरिषद (जीसी) का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन निदेशक नियुक्त किया जाएगा। जीसी का संघटन निम्न प्रकार से होगा:–

1.	कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, (कृषि एवं सहकारिता)	सदस्य
3.	सचिव, (डेयर) एवं महा निदेशक (आईसीएआर)	सदस्य
4.	सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5.	सलाहकार, (कृषि) योजना आयोग	सदस्य
6.	कृषि आयुक्त	सदस्य
7.	मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

4.2 महा परिषद मिशन को उचित निदेश एवं दिशानिर्देश उपलब्ध करने वाला नीति निर्माण निकाय होगा और स्कीम के विकास एवं समग्र प्रगति की समीक्षा करेगा। महा परिषद प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को निर्धारित करने एवं संशोधित करने, राज्यों एवं जिलों में संसाधनों की आवश्यकता आधारित पुनः आवंटन का निर्णय करने और अपेक्षानुसार परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए शक्तिसंपन्न होगा। तथापि, सरकार द्वारा अनुमोदित सब्सिडी मानक किसी भी परिस्थिति में मिशन के किसी भी घटक के लिए बढ़ाए नहीं जाएंगे। महा परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

4.3 मिशन के कार्यकलापों की जांच करने और राज्य कार्रवाई योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एनएफएसएमईसी) का गठन किया जाएगा। एनएफएसएमईसी में निम्नलिखित शामिल होंगे।

1.	सचिव, (कृषि एवं सहकारिता)	अध्यक्ष
2.	सचिव, (डेयर) एवं महा निदेशक (आईसीएआर)	सदस्य
3.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
4.	सलाहकार, उर्वरक विभाग	सदस्य
5.	सलाहकार, (कृषि) योजना आयोग	सदस्य
6.	कृषि आयुक्त	सदस्य
7.	पांच (5) विशेषज्ञ फसल उत्पादन संबंधी	सदस्य
8.	मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

4.4 एनएफएसएमईसी मिशन के कार्यकलापों की जांच करेगा और पृथक राज्य कार्रवाई योजनाओं का अनुमोदन करेगा। अध्यक्ष अपेक्षानुसार समिति में अधिक सदस्यों को नामित कर सकता है। एनएफएसएमईसी की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी।

4.5 विभाग के भीतर से ही अधिकारियों/स्टाफ को पुनः नियुक्त करते हुए डीएसी के फसल प्रभाग में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कक्ष सृजित किया जाएगा। इसमें चावल, गेहूं और दलहनों के लिए प्रत्येक के लिए एक–एक कुल तीन अतिरिक्त आयुक्त होंगे और संबंधित फसलों के लिए प्रत्येक में एक–एक तीन आयुक्त होंगे। दो सहायक आयुक्त, तीन सहायक निदेशक, तीन वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सहायक स्टाफ भी/में रखा जाएगा।

4ख. राज्य स्तरीय

4.6 राज्य में मिशन की कार्यकलापों की जांच करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकारों द्वारा एक राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एनएफएसएमईसी) का गठन किया जाएगा। सचिव (कृषि), सचिव (सिंचाई), सचिव, (विद्युत) और अन्य संबंधित विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधि एनएफएसएमईसी के सदस्य होंगे। राज्य मिशन निदेशक को (राज्य सरकार के भीतर से या बाहर से) निदेशक के वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एनएफएसएमईसी) का गठन निम्न प्रकार से होगा :

i. 1	राज्य के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
ii. 2	सचिव, (कृषि)	सदस्य
iii. 3	सचिव, (सिंचाई)	सदस्य
iv. 4	सलाहकार, (विद्युत)	सदस्य
v. 5	राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/(यों) सदस्य के	कुलपति
vi. 6	भा.कृ.अ.प. के निदेशक/परियोजना निदेशक	सदस्य
vii. 7.	अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य
viii. 8.	राज्य मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

4.7 राज्य सरकारें राज्य एवं जिला स्तरों पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी एक उपयुक्त स्वायत्तशासी एजेंसी का सृजन करेगी अथवा नामित करेगी। इस प्रकार नामित एजेंसी राज्य में मिशन के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी। ऐसी एजेंसी राज्य स्तर पर राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) और जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए/आत्मा) हो सकती है।

4.8 स्कीम के लिए पृथक लेखों को एनएफएसएमईसी द्वारा निर्धारित लेखा कोड के अनुसार राज्य एवं जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित किया जाए। वार्षिक लेखों को प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेंट से विधिवत लेखा परीक्षित कराया जाए।

4.9 राज्य स्तरीय एजेंसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होगी:

(i) .1 मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप संदर्शी एवं राज्य कार्रवाई योजना और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और भा.कृ.अ.प. के संस्थानाओं के सन्निकट सहयोग से संदर्शी एवं राज्य कार्रवाई योजना तैयार करना।

(ii) .2 फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी संभावना और मांग का निर्धारण करने के लिए प्रचालन क्षेत्र (जिला, उप–जिला अथवा जिलों का समूह) में मूल सर्वेक्षण और संभाव्यता अध्ययन आयोजित कराना। इसी प्रकार के अध्ययन कार्यक्रमों के अन्य घटकों के लिए भी अध्ययन आयोति कराए जाएं।

(iii) .3 किसान समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), उत्पादक संघों, स्व–सहायता समूहों, राज्य संस्थानों और अन्य उसी प्रकार के अस्तित्वों के माध्यम से राज्य में मिशन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

(iv) .4 जिला/राज्य में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा.कृ.अ.प. के संस्थानों की सहायता से राज्य स्तर पर किसानों एवं अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) .5 राज्य के लिए अनुमोदित कार्रवाई योजना का निष्पादन करने लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से यह एजेंसी सीधे ही राशि प्राप्त करेगी।

4ग. जिला स्तर

4.10 जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के माध्यम से स्कीम का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय एजेंसी जिला/खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के निष्पादन के लिए जिला स्तरीय एजेंसी को अपेक्षित राशि उपलब्ध कराएगी।

4.11 जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (डीएफएसएमईसी) का गठन जिला कृषि विभाग के माध्यम से परियोजना निरूपण, स्कीम के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए किया जाएगा। जिला कलेक्टर अथवा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राज्य सरकार के विद्यमान मानकों के अनुसार) डीएफएसएमईसी के अध्यक्ष होंगे ।

4.12 डीएफएसएमईसी में संबंधित विभागों के साथ–साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), एटीएमए(आत्मा), प्रगतिशील किसानों और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। उप निदेशक (कृषि)/जिला कृषि अधिकारी डीएफएसएमईसी के सदस्य–सचिव होंगे। डीएफएसएमईसी का गठन निम्न प्रकार से होगा:

1	जिला अधिकारी/जिला परिषद के सीईओ	अध्यक्ष
2	संबंधित विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
3	नामित प्रगतिशील किसान	सदस्य
4	किसानों के स्व–सहायता समूहों से प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रतिष्ठित गैर–सरकारी के प्रतिनिधि	सदस्य
6	जिले के केवीके/एसएयू के प्रतिनिधि	सदस्य
7	एटीएमए (आत्मा) के परियोजना निदेशक	सदस्य
8	उप निदेशक (कृषि)/ जिला कृषि अधिकारी	सदस्य सचिव

4.13 अध्यक्ष, डीएफएसएमईसी यदि आवश्यक समझते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण अतिरिक्त कर्मचारियों/व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।

4घ. परियोजना प्रबंधन दल

4.14 मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना दल का गठन किया जाएगा। विशेषज्ञता के अभिज्ञात क्षेत्रों में छः परामर्शदाताओं और आठ तकनीकी सहायकों को संविदा आधार पर किराये पर लिया जाएगा ।

4.15 राज्य सरकार से आहरित परियोजना प्रबंधक की अध्यक्षता में राज्य एवं जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधक निदेशक के स्तर का होगा। जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधक उप–निदेशक (कृषि) अथवा जिला कृषि अधिकारी के स्तर का होगा।

4.16 परियोजना प्रबंधन दल की मिशन के कार्यान्वयन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए संविदात्मक आधार पर नियुक्त किए जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सहायता की जाएगी। परियोजना प्रबंधन दल की लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र / राज्यो / जिलों में विभिन्न संबंधित विभागों में सहयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति एनएफएसएमईसी द्वारा इस हेतु निर्धारित विचारार्थ विषय के साथ संविदा आधार पर की जाएगी। परियोजना प्रबंधन दल तकनीकी सेवाएं / परामर्श मुहैय्या करायेगी। परियोजना प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए मानदेय विद्यमान वित्तीय मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।संविदात्मक सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताएं अनुबंध–1 में दी गई है।

4.17 राष्ट्रीय/राज्य/ जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल महापरिषद की अनुमति से प्रचार एवं संचार, वित्तीय प्रबंध, सूचना प्रबंध आदि जैसे क्षेत्रों से आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं। तथापि अनुबंध में उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार किसी भी स्थिति में कृषि में विशेषज्ञता के लिये तकनीकी परामर्शदाताओं की संख्या चार से कम होगी।

4.18 आईसीएआर/एनएआईपी परियोजनाओं के तहत वरिष्ठ अनुसंधान असोसियेट के वेतन के अनुसार तकनीकी सहायकों का वेतनमान समय समय पर विनियमित किया जायेगा।

4.19 परियोजना प्रबंधन दल की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होगी:

(क) संगठनात्मक एवं तकनीकी मामलों मेंराज्यों / जिलों का मार्गदर्शन करना।

(ख) एनएफएसएम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहायता करना।

(ग) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में राज्यों / जिलों की सहायता करना और फसल कटाई प्रयोग नमूनों के माध्यम से फसल उत्पादन संबंधी आंकड़ों का रिकार्ड रखना।

(घ) चिन्हित जिलों में वृत्त अध्ययनों पर आधारित समवर्ती मूल्यांकन में जिला और राज्य एजेंसियों की सहायता करना और सफलता समाचारों का प्रलेख और प्रसार करना।

(ङ) मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार/सूचना अभियान चलाना।

4.20 आई सी ए आर की संस्थाएं/राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा इनके अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विकास केन्द्र जो जिले में काम कर रहे हैं, परियोजना के निरूपण, इसके क्रियान्वयन तथा प्रबोधन में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। एन एफ एस एम के क्रियान्वयन तथा प्रबोधन में लगे हुए विस्तार कार्मिकों तथा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए इन संगठनों से तकनीकी कर्मचारी मंगाये जायेंगे।

5. पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

5.1 पंचायती राज संस्थाएं सक्रिय रूप से निम्नलिखित कार्य–कलापों को करेंगी:

। मिशन हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों का चयन और वरीयता क्षेत्रों की पहचान और;
।। चिन्हित जिलों में स्थानीय पहलों का कार्यान्वयन।

6. खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रचालन के क्षेत्र

6.1 एन एफ एस एम–धान, एन एफ एस एम–गेहू और एन एफ एस एम–दलहन विभिन्न राज्यों के क्रमशः 136,141 और 171 चिन्हित जिलों में कार्यान्वित किए जाएंगे। चिन्हित जिलों की सूची अनुबंध–।। (क) से ।। (ग) पर दी गई है।

6.2 जी सी, नवीनतम उपलब्ध डाटा पर आधारित, मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिलों को शामिल करने अथवा हटाने के लिए अधिकृत है।

7. निधि प्रवाह का तंत्र

7.1 मिशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां एन एफ एस एम ई सी के अनुमोदन से राज्य स्तर एजेंसी को सीधे निर्मुक्त की जाएंगी। राज्य स्तर एजेंसी जिले के अनुमोदित कार्यकम के अनुसार जिला स्तर एजेंसी को कोष। उपलब्ध। करायेगी। निधियां किस्तों में प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति के आधार पर निर्मुक्त की जाएंगी।

7.2 घटकों के कार्यकलापों के कार्यान्वयन संबंधी निधियां नोडल विभागों के लिए राज्य/जिला स्तर एजेंजियों द्वारा निर्मुक्त की जाएगी जो जिला के लिए अपेक्षित आदानों की खरीद करेंगे। नोडल विभाग राज्य/जिला स्तर एजेंसी के समक्ष उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिन्हें संकलित किया जाएगा और डी एफ एस एम ई सी और एस एफ एस एम ई सी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित, एक समेकित उपयोग प्रमाण–पत्र, अगली निर्मुक्तियों के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

7.3 राज्य स्तर एजेंसी और जिलों के लिए निधियों के अंतरण के लिए यथा संभव "इलेक्ट्रानिक बैंकिंग" का उपयोग किया जाएगा। राज्य स्तर एजेंसी को राज्य और जिला स्तर दोनों पर मिशन के लिए एक पृथक बजट और निर्धारित लेखा प्रणाली का रख–रखाव करना होगा।

8. मानीटरिंग (अनुश्रवण)

8.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और संबंधित विभागों को शामिल करते हुए मानीटरिंग और मूल्यांकन का एक मजबूत तंत्र होगा। जिला स्तर पर, परियोजना प्रबंधन दल द्वारा समर्थित डी एफ एस एम ई सी द्वारा मानीटरिंग की जाएगी।

8.2 मानीटरिंग दलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम हस्तक्षेपों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की निकटता से मानीटरिंग की जायेगी। इन हस्तक्षेपों की मानीटरिंग के लिए फार्मेट एनएसएफएमईसी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

8.3 राज्य अर्थ और सांख्यिकी विभाग को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मानीटरिंग 6 के लिए मिशन के विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित डाटा संग्रहण के लिए निर्धारित फार्मेट तैयार करने के लिए शामिल किया जायेगा।

8.4 राज्य स्तर पर मिशान के कार्य–कलापों को राज्य मिशन निदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति जिसमें संबंधित विभागों, एस ए यू, लीड बैंकों, आई सी ए आर संस्थाओं और राज्य के लिए नोडल राष्ट्रीय फसल विकास निदेशालय के सदस्य शामिल होंगे, द्वारा मानीटर किया जाएगा।

8.5 राष्ट्रीय स्तर पर, मिशान के कार्यकलापों को कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एस ए यू, धान, गेहूं और दाल विकास निदेशालय संबंधित अनुसंधान संस्थाओं के सदस्यों और संबंधित राज्य विभागों के अधिकारियों के सदस्यों के साथ मिशन निदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली एक समिति द्वारा मानीटर किया जायेगा।

8.6 धान/गेहूं/दलहन विकास निदेशालय चिन्हित राज्यों अर्थात उत्तरी राज्यों के लिए गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद, पूर्वी राज्यों के लिए धान विकास निदेशालय, पटना मध्य और केन्द्रीय व दक्षिणी राज्यों के लिए दलहन विकास निदेशालय, भोपाल समितियों के संयोजक होंगे।

9. प्रगति सूचना–तंत्र

9.1 राज्य कृषि विभाग तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर)की प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा जो प्रत्येक तीसरे माह की दसवीं तारीख को पहुंच जानी चाहिए। इसी प्रकार विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट (एपीआर) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय को वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर भेजी जानी चाहिए। एनएफएसएम–धान की रिपोर्टों की एक प्रति धान विकास निदेशालय पटना को, एन एफ एस एम – गेहू की रिपोर्ट गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद को और एनएफएसएम–दलहन की रिपोर्ट भोपाल स्थित दलहन विकास निदेशालय को तथा एक प्रति मिशन निदेशक को भेजी जानी चाहिए। प्रगति रिपोर्ट की सूचना के लिए फॉरमेट एन एफ एस एम ई सी द्वारा यथानिर्धारित होंगे।

10. मूल्यांकन

10.1 किसानों की संसाधन निधियों और उत्पादकता स्तर को जानने के लिए अर्थ और सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी राज्य विभाग द्वारा एक आधार रेखा सर्वेक्षण संचालित किया जायेगा।

10.2 समवर्ती मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। राज्य सांख्यिकी विभाग मिश।न के उददेश्यों के अनुरूप इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए इस मूल्यांकन को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.3 एन एफ एस एम के क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में, इसके कार्यनिष्पादन और कमियों पर एक स्वतंत्र एजेंसी/संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यावधि मूल्यांकन किया जायेगा ताकि स्कीम और इसके कार्यान्वयन की विधि में सुधारात्मक उपाय / अपेक्षित परिवर्तन किए जा सके।

10.4 धान, गेहूं तथा दलहन की उत्पादकता बढ़ाने में, फसल विविधिकरण तथा किसानों की आय बढ़ोत्तरी में इस स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष के पश्चात किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी राष्ट्रीय स्तर पर निष्पादित किया जायेगा।

10.5 मिशन की मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। मिशन के कार्यकलापों की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए विष्टीकृत उपकरण/प्रपत्र/साटवेयर विकसित किया जायेगा।

11. क्षेत्रों और लाभार्थियों के चयन संबंधी मानदण्ड

11.1 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना (टी एस पी) के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार एस सी पी के लिए कुल आवंटन का 16 प्रतिशत और टी एस पी के लिए 8 प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।

11.2 निधि का कम से कम 33 प्रतिशत आवंटन लघु, सीमांत और महिला किसानों के लिए किया जाना है। एस सी/एस टी किसानों के लिए आवंटन जिलें में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा।

11.3 सभी किसान किसी मौसम में 5 हैक्टेयर की सीमा तक मिशन के विभिन्न घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11.4 अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एआईएसएलयूएस) सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम और चूने के प्रयोग के लिए वरीयता क्षेत्रों की पहचान के लिए नोडल एजेंसी होगा।

11.5 मिशन में विभिन्न हस्तक्षेप क्षेत्र विशिष्ट हैं। धान सघनीकरण प्रणाली उन जिलों में अपनायी जाएगी जो फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान जल की सुनिश्चित उपलब्धता के आधार पर राज्य कृषि विभाग द्वारा यथा निर्धारित तकनीकी को अपनाने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं।

11.6 डीएफएसएमईसी के अध्यक्ष द्वारा एक जिला स्तर बीज समिति गठित की जायेगी जिसका कार्य बीजों के लाभार्थियों की सूची, उसकी मांग तथा किसानों तक सुनिश्चित वितरण को सत्यापित करना होगा। यदि बीज पर सब्सीडी का वितरण। आधारभूत स्तर पर किया जाता है तो यादच्छिक सत्यापन के आधार पर लाभार्थियों की सूची को कार्योत्तर अनुमोदन दिया जाएगा ।

11.7 एस ए यू, के वी के, ए टी एम ए, (आतमा) प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन और अन्य संबंधित विभागों के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों को प्रदर्शन की योजना और निष्पादन, किसानों के प्रशिक्षण और उनके मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा। जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों के बीच सहक्रिया विकसित करने में सहायता करेगा।

12. वार्षिक योजना अनुमोदन और कार्यान्वयन संबंधी क्रिया विधि

12.1 कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार प्रत्येक राज्य के लिए अनुमानित वार्षिक परिव्यय सूचित करेगा, जो बदले में जिलावार घटकवार आवंटन निर्दिष्ट करेगा। जिला स्तर पर एजेंसियां अपनी वरीयता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगी और राज्य स्तर एजेंसी के समक्ष योजना प्रस्तुत करेंगी। संबंधित राज्य ग्यारहवीं योजना के लिए जिला कार्रवाई योजनाओं के आधार पर एक राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित होंगे। राज्य वार्षिक कार्यवाई योजनाओं और राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन दस्तावेज तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंधन दल अथवा वैकल्पिक रूप से तकनीकी परामर्शदाताओं को आउटसोर्स करके नियुक्त कर सकते हैं। राज्य स्तर एजेंसी राज्य कार्रवाई योजना को खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा पुनरीक्षित करायेगी तथा उसे एन एफ एस एम ई सी के अनुमोदन के लिए कृषि मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

12.2 एन एफ एस एम-चावल, एन एफ एस एम-गेहूं तथा एन एफ एस एम-दलहन के लिए ~~एस ई~~ एन एफ एस एम ई सी कुल आवंटन के 20 प्रतिशत की सीमा में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अंतःघटकीय परिवर्तन करने के लिये अधिकार सम्पन्न है।

13. चालू योजनाओं की स्थिति

13.1 केन्द्र प्रायोजित एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.धान/गेहूं), एन एफ एस एम धान और गेहूं के कार्यान्वित होने के बाद चयनित जिलों में बंद हो जाएगी।

13.2 देश के 14 राज्यों के मौजूदा व अतिरिक्त 171 दाल उत्पादक जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन (एनएफएसएम–दलहन) प्रचालित किया जाएगा ! आईसोपोम के तहत प्रचलित दाल कार्यक्रम उन 171 जिलों में बंद हो जायेगा, सिवाय उन घटकों के जो एनएफएसएम दलहन के तहत शामिल नहीं हैं।

14. मिशन कार्यबिन्दु

रा.खा.सू.मि. के तीनों घटकों (*चावल, गेहूं व* दलहन) के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्यबिन्दु निम्नलिखित हैं :–

14.1 प्रदर्शन

(i) धान और गेहूं की प्रथाओं, धान सघनीकरण प्रणाली और संकर धान के संवर्धित पैकेज का प्रदर्शन संवर्धित प्रथाओं (संवर्धित/संकर बीज, उर्वरक प्रबंधन तथा अन्य प्रथाएं) के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए किसानों के खेतों में संचालित किये जायेंगे।

(ii) **2 11वीं योजना के दौरान चावल के प्रत्येक 100 हेक्टेयर क्षेत्र तथा गेहूं के 50 हैक्टेयर क्षेत्र पर 0.4 हैक्टेयर का एक प्रदर्शन संचालित किया जायेगा। प्रति वर्ष प्रदर्शनों की संख्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल संख्या का लगभग 1/5 होगी! एक किसान के लिए केवल एक प्रदर्शन आवंटित होगा।**

(iii) **3 ये प्रदर्शन खेतों को 2 ब्लाकों में विभाजित करते हुए, एक ब्लाक संवर्धित प्रथाओं और दूसरा किसानों की प्रथाओं (परम्परागत) हेतु समीपवर्ती ब्लाकों में संचालित किये जायेंगे।**

(iv) **4 ये प्रदर्शन सहयोगी रूप से राज्य कृषि विभाग, एस ए यू, आई सी ए आर संस्थानों और के वी के तथा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जायेंगे।**

(v) **5 लाभानुभोगी किसानों का चयनः-** केवल उन किसानों का चयन किया जाये जो सहयोग और कुछ संसाधनों का योगदान करना चाहते हैं। प्रदर्शनों के उद्देश्य तथा सहभागी किसानों से प्रत्याशाओं सहित भूमिका व उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए ग्राम में बैठकें आयोजित करके एक सहयोपरक विधि से लाभानुभोगियों का चयन किया जाना चाहिये।

(vi) **6 स्थल का चयन :** प्रदर्शन स्थल तक किसानों व विस्तार कार्मिकों की आसानी से पहुंच होनी चाहिये । यह निर्जन क्षेत्र में नहीं होना चाहिये । चयनित स्थल क्षेत्र के मृदा प्रकार, प्रचलित मृदा उर्वरता का प्रतिनिधि होना चाहिये।

(vii) **7. मृदा विश्लेषणः** जहां तक संभव है चयनित क्षेत्र की मृदा उर्वरता की जानकारी अग्रिम रूप से होनी चाहिये ताकि उर्वरकों व मृदा सुधारकों के उपयोग के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

(viii) **8. प्रदर्शित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों की पहचानः** यह प्रदर्शन के नियोजन में एक महत्वपूर्ण प्रकिया है। प्रदर्शित की जाने वाली उन्नत प्रणालियों की पहचान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से क्षेत्र में स्थित उनके क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों/कृषक विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से की जानी चाहिये । तथापि, अत्यधिक महत्वपूर्ण आदानों को सर्वोच्च प्राथामिकता दी जानी चाहिए, जैसे अम्लीय मृदा के मामले में उन्नत पैकेज पर प्रदर्शन करते समय लाइमिंग के जरिये मृदा अम्लीयता में सुधार लाया जाना चाहिये। पैकेज में शामिल की जाने वाली किस्में 5 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये।

(ix) **9. वितरित किये जाने वाले आदानों के पैकेज का विकासः** जैसे ही प्रदर्शित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों की पहचान हो जाती है , एक पैकेज को अंतिम रूप दिया जाये कि प्रदर्शन किट के रूप में इन प्रदर्शनों को संचालित करने के लिये किस प्रकार के आदान उपलब्ध कराये जायेंगे । इसी प्रकार लाभानुभोगी किसान द्वारा (यदि अपेक्षित हो) आदान के मामले में दिये जाने वाले योगदान का भी निर्णय किया जाये।

10. **प्रदर्शन किटों का वितरण तथा सहभागी किसानों को प्रशिक्षण :** प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में लाभार्थी किसानों को जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये। प्रदर्शन के महत्वपूर्ण आदानों के संबंध में किसानों को जानकारी दी जाये। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किसानों में प्रदर्शन किट का वितरण किया जाये । प्रदर्शनों का संचालन राज्य कृषि विभाग के विस्तार कार्मिकों द्वारा जिला परामर्शदाताओं के पर्यवेक्षण में किया जाये ।

11. एन एफ एस एम के तकनीकी सहायकों द्वारा सहायताप्राप्त जिला परामर्शदाता पूरे फसल मौसम में प्रदर्शनों की मानीटरिंग करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र पर परिणामों की रिपोर्ट जिला स्तर के प्रयोजना प्रबंध दल को प्रस्तुत करेगा।

12. **प्रदर्शन बोर्ड:** प्रदर्शन प्लाट पर एक प्रदर्शन बोर्ड लगाया जायेगा । अन्य जानकारी के अलावा , इस बोर्ड पर महत्वपूर्ण आदान या क्षेत्र प्रचालन की जानकारी होनी चाहिये, जिसे प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता है ।

- किसान का नाम
- गांव का नाम
- किस्म का नाम
- प्रयुक्त उर्वरक
- प्रयुक्त पोषक तत्व
- बुआई/रोपण की तारीख
- बीज दर व अंतराल
- कोई अन्य महत्वपूर्ण आदान जिसे प्रयुक्त किया गया है।

13. **क्षेत्र दिवस:** फसल के उत्पादक चरण में, वरीयतः अनाज के दाने बनने की स्थिति में क्षेत्र दिवस आयोजित किया जायेगा। एस ए यू/के वी के के वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये तथा सहभागी किसानों को संदर्भित विस्तार साहित्य उपलब्ध कराया जाये।

14. **परिणामों की रिपोर्टिंग करना:** प्रखण्ड , जिला तथा राज्य स्तर पर प्रदर्शनों के परिणामों का संकलन किया जाये। राज्य स्तर पर प्रदर्शनों के परिणामों का संकलन पुस्तिका के रूप में किया जाये।

14.1.1 उन्नत कृषि प्रणाली

चावल

1 बीज, उर्वरक, पौध रक्षण रसायनों, शाकनाशियों पर व्यय तथा अन्य विविध व्यय का पूरा करने के लिए प्रति प्रदर्शन 2500 रु० की सहायता प्रदान की जाएगी।

2 महत्वपूर्ण आदानों पर मदवार व्यय तथा प्रति प्रदर्शन अन्य व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	मद	धनराशि (रू.)
1.	महत्वपूर्ण आदानों (बीज, उर्वरक/खाद, पौध रक्षण रसायनों तथा शाकनाशी दवाओं) की लागत	1825/-
2.	किसान दिवस मनाना	200/-
3.	मुद्रण सामग्री , प्लेकार्डस, पोस्टर, पम्पलेट आदि का वितरण	125/-
4.	भारत सरकार/राज्य/परियोजना प्रबंध दल आदि के वैज्ञानिकों/अधिकारियों का दौरा आदि । किसी भी प्रकार के टीए/डीए को छोड़कर किन्तु पीओएल टैक्सी को किराया पर लेने आदि के लिये ।	250/-
5.	आकस्मिकता हस्तलिपियों/रिपोर्टों आदि के मुद्रण सहित।	~~200/-~~ 100/-
	कुल	2500/-

गेहूं - hold

1 बीज, उर्वरक, पौध रक्षण रसायनों पर व्यय तथा अन्य विविध व्यय का पूरा करने के लिए प्रति प्रदर्शन 2000 रू० की सहायता प्रदान की जाएगी।

2 सहायता का मदवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	मद	धनराशि (रू.)
1.	महत्वपूर्ण आदानों (बीज, उर्वरक/खाद, पौध रक्षण रसायनों तथा शाकनाशी दवाओं) की लागत	1325/-
2.	किसान दिवस मनाना	200/-
3.	मुद्रण सामग्री , प्लेकार्डस, पोस्टर, पम्पलेट आदि का वितरण	125/-
4.	भारत सरकार/राज्य/परियोजना प्रबंध दल आदि के वैज्ञानिकों/अधिकारियों का दौरा आदि । किसी भी प्रकार के टीए/डीए को छोड़कर किन्तु पीओएल टैक्सी को किराया पर लेने आदि के लिये ।	250/-

5.	आकस्मिकता हस्तलिपियों/रिपोर्टों आदि के मुद्रण सहित।	100/-
	कुल	2000/-

14.1.2 धान में सघनता प्रणाली (एस आर आई)

1 प्रगतिशील किसानों के उन खेतों पर जहां सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाएं तथा विकास प्रणाली मौजूद हैं, उपरी भूमि की स्थितियों में एस आर आई प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

2 क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को एस आर आई के प्रति प्रदर्शन के लिए 3000 रू० की सहायता दी जाएगी। घटकवार ब्यौरा निम्नलिखित है–

क्र.सं.	मद	धनराशि (रू.)
1.	महत्वपूर्ण आदानों (बीज, उर्वरक/खाद, पौध रक्षण रसायनों तथा शाकनाशी दवाओं) की लागत	2325/-
2.	किसान दिवस मनाना	200/-
3.	मुद्रण सामग्री , प्लेकार्डस, पोस्टर, पम्पलेट आदि का वितरण	125/-
4.	भारत सरकार/राज्य/परियोजना प्रबंध दल आदि के वैज्ञानिकों/अधिकारियों का दौरा आदि । किसी भी प्रकार के टीए/डीए को छोड़कर किन्तु पीओएल टैक्सी को किराया पर लेने आदि के लिये ।	250/-
5.	आकस्मिकता हस्तलिपियों/रिपोर्टों आदि के मुद्रण सहित।	100/-
	कुल	3000/-

14.1.3 संकर धान तकनीकी

1 संकर धान पर प्रदर्शन किसानों के खेतों पर जहां सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाएं मौजूह है, आयोजित किए जाएंगे। ,

2 संकर धान पर प्रति प्रदर्शन 3000 रू० की सहायता एजेंसियों को दी जाएगी। घटकवार ब्यौरा निम्नलिखित है–

क्र.सं.	घटक	राशि (रू0)
1.	महत्वपूर्ण आदानों (बीजों, उर्वरकों/खादों, पीपी रसायनों और शाकनाशियों) की लागत	2327/-
2.	कृषक दिवस आयोजित किया जाना	200
3.	प्रचार सामग्री और डिस्प्ले बोर्ड का वितरण	125
4.	वैज्ञानिकों के दौरे के दौरान टैक्सी/पीओएल, आदि किराए पर लेने के लिए किन्तु किसी प्रकार के यात्रा भत्ते एवं डीए को छोड़कर	250
5.	आक्समिकताएं/परिणामों/कार्यवृत आदि का टंकण	100
	कुल	3000

14.2 बीज

मिशन में संकर चावल के बीज तथा साथ ही दलहन की उन्नत किस्मों के प्रजनक, आधारी और प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है । इसी प्रकार संकर चावल के बीजों, चावल, गेहूँ और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों/उन्नत किस्मों के वितरण का प्रावधान किया गया है । चावल और गेहूँ की हाल में निर्मुक्त और पूर्व निर्मुक्त किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए चावल और गेहूँ के बीज मिनीकिटों के वितरण के लिए पर्याप्त आबंटन किया गया है ।

14.2.1 सामान्य योजना

i. बीज एवं बीज मिनीकिटों के वितरण के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों से परामर्श करके किया जाएगा ।

ii. बीजों के उत्पादन व वितरण तथा चावल एवं गेहूँ की बीज मिनीकिटों के वितरण हेतु कार्यक्रम का निर्णय कृषि आयुक्त, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली एक समिति आईसीएआर तथा राज्यों के साथ परामर्श करके करेगी । समिति प्रत्येक फसल मौसम अर्थात खरीफ हेतु फरवरी/मार्च में और रबी/ग्रीष्म मौसम के कार्यक्रमों के लिए अगस्त/सितम्बर में निम्नलिखित के लिए बैठक करेगी:

(क) राज्यों की आवश्यकताओं की समीक्षा; चिन्हित किस्मों की बीज उपलब्धता ।

(ख) विगत मौसमों/वर्षों के बीज/बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा ।

(ग) वर्तमान मौसम के लिए बीज उत्पादन/वितरण/बीज मिनीकिट कार्यक्रम तैयार करना ।

(घ) नई विकसित प्रजातियों और संकर किस्मों के प्रजनक, आधारी और प्रमाणित बीज की उपलब्धता और उत्पादन कार्यक्रमों की समीक्षा ।

(ड.) किसानों को बीज वितरण के लिए मिनीकिट कार्यक्रमों के अधीन सर्वाधिक संभावना वाली किस्मों/संकर किस्मों के बीज के उत्पादन के लिए राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा ।

(च) बीज उत्पादन कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक आधार रखने वाली राज्य बीज निगमों, के वी के, एनजीओ, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों में से एजेन्सियों की पहचान करना ।

iii. चावल, गेहूँ और दलहन की संकर किस्मों/अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के वितरण हेतु सहायता एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई./एस.एस.सी./ एस.ए.यू. और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत पंजीकृत निजी एजेन्सियों को दी जाएगी ।

iv. चावल, गेहूँ और दलहन की संकर किस्मों/अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के वितरण हेतु सहायता जिले में बीज की आपूर्ति करने वाली अभिज्ञात एजेन्सियों को स्रोत के आधार पर दी जाए । इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेन्सियां भी शामिल होंगी ।

v. <u>स्रोत पर बीज राजसहायता के प्रर्वतन हेतु योजना</u>

क. स्रोत पर राजसहायता के प्रशासन के लिए सार्वजनिक और निजी एजेन्सियों के बीज प्रतिस्थापन प्रर्वतन के लिए अपने बीज को जिले में राजसहायता प्राप्त मूल्य के माध्यम से बेचने के इच्छुक सभी सार्वजनिक और निजी बीज एजेन्सियों को अपने बीज प्रतिस्थापन योजना (बीज का किस्मवार परिमाण,

मूल्य और वह स्थान, जहां बीज उपलब्ध है) के बारे में उपनिदेशक (कृषि) को पहले ही सूचित करना होगा ।

ख. जिला कलेक्टर जिला बीज समिति की सहायता से उन सभी बीज एजेन्सियों की एक बैठक बुलाएंगे जिन्होंने राजसहायता प्राप्त लागत पर बीज बेचने और एनएफएसएम के अंतर्गत बिक्री के अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के इच्छुक है ।

ग. जिले में राजसहायता प्राप्त मूल्य पर विशेष एजेन्सी द्वारा बेचे जाने वाले बीजों के परिमाण पिछले तीन वर्षो के लिए एजेन्सी के बिक्री के रूझानों के आधार पर निर्धारित किए जाएं । राजसहायता प्राप्त लागत पर बीज की बिक्री सभी स्रोतों से जिले में अपेक्षित कुल बीज आवश्यकता के 33 प्रतिशत से अनधिक होना चाहिए ।

घ. बीज एजेन्सी बिक्री मूल्य पर पहुंच के लिए बीज की लागत से राजसहायता की राशि को कम करेगा और इसके ब्यौरे को मिशन के नाम और बीज आदेश के मुताबिक ब्यौरे सहित बीज के पैकेज पर अंकित मूल्य के आधार पर दर्शाएगा ।

ड. बेचे गए बीजों के प्रमाणन टैग और लौट संख्या जिला बीज समिति को उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसमें हर हालत में बीज के गुणवत्ता के सत्यापन के लिए सदस्य के रूप में राज्य/जिला के बीज प्रमाणन एजेन्सी का प्रतिनिधि होगा ।

vi. जिला स्तर पर बीजों और बीज मिनीकिटों के वितरण की डीएफएसएमईसी द्वारा परियोजना प्रबंधन दल की सहायता से मॉनीटरन किया जाएगा ।

vii. प्रभावी बीज उत्पादन/वितरण और निगरानी के लिए एक मानिटरन दल गठित किया जाएगा जिसमें राज्यों के कृषि विभागों के सदस्य, कृषि मंत्रालय, एसएयू और आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । इसकी समेकित रिपोर्ट निदेशकों, चावल/गेहूँ विकास निदेशालय द्वारा कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

14.2.2 संकर धान बीज उत्पादन

i. वर्ष 2011-12 तक संकर धान के अधीन 3.0 मिलियन है0 क्षेत्र कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 4.5 लाख क्विंटल संकर बीज की आवश्यकता होगी । संकर धान बीज उत्पादन एक बहुत जटिल और जोखिम भरा कार्य है । संकर धान में प्रति यूनिट क्षेत्र की उपज बहुत कम है ।

ii. एन.एफ.एस.एम. चावल वाले जिलों में उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित बीजों के लिए एनएफएसएम/गैर एनएफएसएम में स्थित निजी बीज उत्पादन कम्पनियों सहित बीज उत्पादक एजेन्सियों को उत्पादित संकर धान पर प्रति क्विंटल 1000 रूपये सहायता मुहैया कराई जाएगी ।

iii. प्रमाणित बीजों हेतु उत्पादन राजसहायता के लाभानुभोगी एनएससी/एसएफसीआई/एसएससी/एसएयू तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पंजीकृत निजी एजेन्सियां होंगी ।

iv. बीज उत्पादक एजेन्सियों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन उत्पादित संकर बीज की वास्तविक मात्रा पर दिया जाएगा । बीज उत्पादकों को कैरी ओवर लाभ नहीं दिया जाएगा ।

v. संकर धान बीज हेतु एसएसी द्वारा समय-समय पर यथा परिकल्पित न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा । बीज उत्पादक एजेन्सियों को सहायता का लाभ उठाने के लिए संकर धान बीज की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का उत्पादन करना होगा ।

vi. संकर धान बीजों के उत्पादन के लिए राज्य स्तरीय एजेन्सी को निधियां निर्मुक्त की जांएगी जो बाद में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात बीज उत्पादक एजेन्सियों को जारी करेगी ।

vii. संकर बीज उत्पादन के लक्ष्य के अनुसार पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए ए लाईन, बी लाईन तथा रिस्टोरर (आर) लाईन प्राप्त करने हेतु बीज उत्पादक एजेन्सियां संबंधित एसएयू/आईसीएआर संस्थान के साथ मांग पत्र प्रस्तुत करेंगी ।

viii. बीज उत्पादक एजेन्सी निर्धारित फारमेट में प्रगति रिपोर्ट एसएफएसएमईसी को प्रस्तुत करेगी, जो उन्हें सत्यापन के पश्चात जून/जुलाई के महीने में धान विकास निदेशालय, पटना को भेजेगा । अंतिम प्रगति रिपोर्ट जनवरी तक अवश्य ही प्रस्तुत की जाएगी ।

ix. धान विकास निदेशालय, पटना इन प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ आकलन रिपोर्टों को भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

14.2.3 संकर धान बीज का वितरण

(i) राज्य द्वारा प्राधिकृत बीज उत्पादन एजेन्सियां (एनएससी/एसएफसीआई/एसएससी/एसएयू/निजी बीज उत्पादक एजेन्सियां) संबंधित राज्य के अभिज्ञात जिलों में संकर धान बीज वितरित करेंगी ।

(iii) संकर धान के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की लागत के 50 प्रतिशत, अधिकतम 2000/- रूपये प्रति क्विंटल तक सहायता उपलब्ध होगी । पहले ही अधिसूचना से निकाल दी गई (डीनोटीफाइड)/बाहर की गई किस्मों के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी ।

(iii) बीज वितरक एजेन्सियां अपने राजसहायता दावे को इस घटक के अधीन राज्य स्तरीय एजेन्सी को प्रस्तुत करेंगी ।

14.2.4 धान एवं गेहूँ की प्रजातियों का प्रतिस्थापन

(i) चयनित जिलों में एसआरआर को 33 प्रतिशत तक लाने और उत्पादकता स्तर में वृद्धि करने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान विकसित की गई धान व गेहूँ की उन्नत प्रजातियों के बीज वितरण पर 500/- रूपये प्रति क्विंटल अथवा लागत के 50 प्रतिशत जो भी कम हो की दर पर दिया जायेगा ।

(ii) जिलों में गठित बीज समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य/जिला स्तरीय एजेन्सी द्वारा बीजों के वितरण के लिए निधियां निर्मुक्त की जाएंगी ।

14.2.5 धान और गेहूँ का बीज मिनीकिट कार्यक्रम

i. मिनीकिट का उद्देश्य नवीनतम विकसित/पूर्व विकसित किस्मों को किसानों के बीच शुरू करने और उनके लोकप्रियकरण तथा प्रसार के लिए है । मिनीकिटों की मात्रा गेहूँ के लिए 10 कि.ग्रा. अधिक उपज देने वाली चावल के लिए 5

कि.ग्रा. तथा संकर चावल के लिए 6 कि.ग्रा. होगी । चावल और गेहूँ के प्रत्येक 50 हैक्टेयर के लिए 1 मिनीकिट का वितरण किया जायेगा । संकर किस्मों के लिए बीज मिनीकिटों हेतु लक्षित क्षेत्र 3 मि. हैक्टेयर होगा । राज्यों को चावल संकर किस्म के बीज मिनीकिटों के वितरण हेतु पहले ही प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करनी होगी ताकि बीजों के मिनीकिटों का प्रबंध करने में नोडल एजेन्सियों को समर्थ बनाया जा सके ।

ii. केवल नई विकसित किस्मों, जो 5 वर्ष से अधिक पुरानी न हों, अर्थात पिछले 5 वर्षों के दौरान अधिसूचित/विकसित/चयनित किस्मों को बीज मिनीकिट कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा ।

iii. एनएससी/एसएफसीआई/एसएससी/एसएयू द्वारा बीज मिनीकिटों की आपूर्ति अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी ।

iv. बीज मिनीकिटों का वितरण जिला कृषि कार्यालय द्वारा किसानों को मुफ्त दिया जाएगा ।

v. संबंधित जिला कृषि विभाग द्वारा बीज मिनीकिट प्राप्ति की पावती भेजने और बिलों की प्राप्ति पर कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार एनएससी/एसएफसीआई/एसएससी/एसएयू को मिनीकिटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जायेगी । राज्य सरकारों द्वारा सत्यापन के बाद भारत सरकार द्वारा संबंद्ध एजेन्सियों को बीज मिनीकिटों हेतु निधियां सीधे ही निर्मुक्त की जायेगीं ।

vi. जिला स्तरीय पीएमटी जिलें में मिनीकिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मानिटरन करेगा ।

vii. राष्ट्रीय स्तर पर फसल विकास निदेशालय चावल, गेहूँ के बीज मिनीकिटों के वितरण का मानीटरन के लिए नोडल एजेन्सी होंगे ।

14.2.6 आईसीएआर द्वारा दलहनों के प्रजनक बीजों का विकास

दलहन की नई किस्मों/संकर किस्मों के प्रजनक बीजों के विकास का दायित्व आईसीएआर/एसएयू तथा आईसीआरआईएसएटी का होगा । इस प्रयोजन के लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) कानुपर नोडल एजेन्सी होगा । आईआईपीआर कानपुर को या तो इसके अपने फार्म पर अथवा देश में अभिनामित

संस्थाओं में परियोजना के आधार पर संविदात्मक मानवशक्ति सहित प्रजनक बीज उत्पादन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रूपये की सीमा तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी । ऐसी परियोजना को आईआईपीआर, कानपुर द्वारा तैयार किया जाएगा और एनएसएफएमईसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । प्रजनक बीज का आवंटन बीज उत्पादन एजेन्सियों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर सीएससी द्वारा किया जाएगा ।

14.2.7 दलहन के प्रजनक बीजों का उत्पादन और वितरण

i. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित प्रजनक बीज योजना के आधार पर आईसीएआर/एसएयू द्वारा 10 वर्षों के अंदर विकसित की गई किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जाएगा । प्रजनक बीजों का उत्पादन तथा आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आईआईपीआर नोडल एजेन्सी होगी ।

ii. दलहनी फसलों के प्रजनक बीजो के उत्पादन के लिए आईसीएआर/एसएयू के लिए 2.00 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता निर्धारित की जाएगी ।

iii. बीज उत्पादक एजेन्सियों द्वारा भुगतान आधार पर बीज समिति (एससी) द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार प्रजनक बीजों को उठाना अपेक्षित होगा । प्रजनक बीज की पूरी लागत संबंधित राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में बीज उत्पादक एजेन्सियों को एनएफएसएम-दलहन के अधीन एनएफएसएमईसी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

14.2.8 दलहन के आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन

i. आधारी बीजों का उत्पादन भारतीय राज्य फार्म निगम/राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य बीज निगमों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों के बीज उत्पादन फार्मों, नैफेड, इफ्को, कृभको, सहकारी और निजी क्षेत्र में बीज उत्पादक एजेन्सियों द्वारा किया जाएगा । जिसके लिए प्रसंस्कृत बीज हेतु 1,000 रूपये/क्विंटल की राजसहायता दी जाएगी ।

ii. बीज ग्राम स्कीम के अधीन (i) पर सूचीबद्ध एजेन्सियों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीजों को उत्पादन राजसहायता हेतु योग्य माना जाएगा । कैरी ओवर स्टाक के लिए कोई सहायता स्वीकार्य नहीं होगी ।

iii. बीज उत्पादक एजेन्सियों को प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 1,000/- रूपये प्रति क्विंटल की सहायता स्वीकार्य होगी । पंजीकरण शुल्क संबंधी खर्चों को पूरा करने और साथ ही छटाई और सफाई कार्यों में हुई हानियों हेतु उत्पादकों को

क्षतिपूर्ति करने के लिए बीज उत्पादक एजेन्सियों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन के प्रत्येक क्विंटल के लिए बीज उत्पादकों (किसानों) को प्रोत्साहन के रूप में 750/- रूपये दिया जाना अपेक्षित होगा । उत्पादित बीज की शेष 250/- रूपये प्रति क्विंटल की सहायता बीज उत्पादक एजेन्सी को हैंडलिंग, क्लीनिंग/ग्रेडिंग/ प्रोसेसिंग/परिवहन/ भण्डारण अधिभार आदि के लिए होगी ।

iv. विभिन्न दलहन फसलों के फाउन्डेशन व प्रमाणित बीजों की केवल 10 वर्ष से कम पुरानी किस्में उत्पादन राजसहायता के लिए योग्य होंगे ।

v. राज्य बीज निगम/एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/कृभको/इफ्को तथा सहकारी व निजी क्षेत्र में अन्य बीज उत्पादक एजेन्सियों द्वारा आधारीय तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वार्षिक बीज उत्पादन योजनाए बनाया जानां अपेक्षित होगा । इन योजनाओं को प्रत्येक फसल सीजन के शुरू होने से काफी समय पहले अनुमोदन के लिए बीज समिति को प्रस्तुत किया जाएगा । प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कार्यक्रमों को अनुमोदित योजना(ओं) के अनुसार इन एजेन्सियों द्वारा चलाया जाएगा ।

14.2.9 <u>प्रमाणित दलहन बीजों का वितरण</u>

i. वहनीय लागत पर उन्नत/नई विकसित (< 10 वर्ष पुरानी) दलहनी किस्मों को लोकप्रिय बनाने/संवर्धन करने/प्रचार करने के लिए प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है ।

ii. सभी दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के लिए वितरण राजसहायता लागू होगी जो कि प्रमाणित बीज की लागत की 50 प्रतिशत अथवा 1200/- रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, होगी ।

iii. इस घटक के अधीन प्रमाणित बीज सप्लाई कर रहीं एजेन्सियों को पैकेटों/किटों पर स्पष्ट रूप से (i) बीज का विक्रय मूल्य (ii) पात्र राजसहायता राशि और (iii) किसानों के लिए प्रति क्विंटल रूपये में विक्रय मूल्य मुद्रित करना होगा ।

iv. निजी क्षेत्र में विकसित दलहन की नई विकसित अधिक फसल देने वाली किस्मों/संकर किस्मों के प्रमाणित बीज भी वितरण राजसहायता के योग्य होंगे । संबंधित राज्य कृषि विभाग निजी एजेन्सियों से केवल प्रमाणित बीज/संकर बीज की खरीद करेंगे और राजसहायता दर पर किसानों को सप्लाई करेंगे ।

V. एक किसान पांच हैक्टेयर क्षेत्र से अनाधिक क्षेत्र के लिए सहायता दर पर दलहन बीज प्राप्त कर सकते हैं।

14.2.10 राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों के लिए दलहन बीजों हेतु समर्थन

i. राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को चार वर्षों (वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11) की अवधि के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक उन्नयन (संविदात्मक आधार पर न्यूनतम मानव श्रम सहित) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे दलहन बीजों के प्रमाणन करने में समर्थ हो सकें।

ii. बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रति वर्ष (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी हेतु 25 लाख रु0 की धनराशि निर्धारित की जाएगी।

iii. राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों से अपेक्षित होगा कि वे इस घटक के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग को औचत्य प्रतिपादन के साथ-साथ शुरु करने के लिए प्रस्तावित क्रियाकलापों और विद्यमान तकनीकी मानव श्रम का ब्यौरा स्पष्ट रुप में निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावों को प्रस्तुत करें।

14.3 पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा सुधारकों का उपयोग

i. यह घटक राज्य कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। डीएफएसएमईसी ग्राम/जिला पंचायतों के साथ परामर्श करके लाभुनभोगियों की सूची को अंतिम रुप देगी।

ii. अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एआईएसएलयूएस) चयनित जिलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों/लाइम/जिप्सम के अनुप्रयोग के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान के लिए नोडल एजेंसी होगी । भा.कृ.अप.संस्थान, एआईएसएलयूएस,एसएयू/राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर और इसके क्षेत्रीय केन्द्र, तथा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल भी प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान में शामिल होंगे।

iii. सूक्ष्म पोषक तत्वों/लाइम/जिप्सम का प्रयोग संबंधित एसएयू की सिफारिशों के आधार पर आधारीय पर्णीय अनुप्रयोग के रुप में किया जाएगा। किसान को लक्षित फसल के लिए अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु सहायता दी जाएगी।

14.3.1 धान लाईम/लाइमिंग सामग्री का अनुप्रयोग

i. किसानों को धान के लिए 500/- रु0 प्रति हैक्टेयर अथवा लाईम/लाइमिंग सामग्री की लागत के 50%, जो भी कम हो, की दर से सहायता दी जाएगी। अनुप्रयोग का तरीका और मात्रा वह होंगें जो संबंधित एसएयू द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ii. किसानों को धान के लिए 500/- रु0 प्रति हैक्टेयर अथवा सूक्ष्म लाईम/लाइमिंग सामग्री की लागत के 50%, जो भी कम हो, की दर से सहायता दी जाएगी।

iii. सहायता ऐसे किसानों को मुहैया कराई जाएगी जिनकी मृदा अम्लीय है।

14.3.2 गेंहूं में सूक्ष्म पोषक तत्वों और जिप्सम उपयोग

i. सूक्ष्म पोषक तत्वों और जिप्सम के लिए पैकेज सहायता 1000/-रुपये प्रति है0 तक सीमित लागत की 50% होगी। राज्यों को स्थानीय जरुरतों के अनुसार इस पैकेज में जिप्सम व सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्रमानुसार हिस्से का निर्णय लेने का लचीलापन होगा। तथापि, जिप्सम के लिए सहायता 750/-रु0 प्रति हैक्टेयर या लागत के 50% जमा परिवहन लागत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि राज्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए लागत की 50% की दर पर अथवा 500/-रु0 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, की मांग करता है, तो जप्सम के लिए अधिकतम सहायता 500/-रु0 प्रति हैक्टेयर या लागत की 50% , जो भी कम हो, होगी।

ii. जिप्सम के लिए सहायता ऐसे किसानों को दी जाएगी जिसकी मृदा गैर -लवणीय है क्षारीय पीएच की है या सिंचाई जल घटिया क्वालिटी का है।

iii. उपयोग का तरीका और मात्रा वह होंगे जैसा कि संबंधित एसएयू द्वारा निर्धारित किए जाएंगें।

14.3.3 दलहन में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन

i.सूक्ष्म पोषक तत्वों/लाइम/जिप्सम को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता आईएनएम पैकेज के रुप में 1250 रु0/हैक्टेयर की दर से दी जाएगी। किसान को दलहन के अंतर्गत अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता दी जाएगी। सहायता लाइम/जिप्सम के लिए 750 रु0 प्रति हैक्टेयर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 500 रु0 प्रति हैक्टेयर तक सीमति होगी। जिप्सम के लिए सहायता 750/-रु0 प्रति है0 या लागत की 50% जमा परिवहन लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.4 यंत्रीकरण

i. धान, गेहूंऔर दलहन में यंत्रीकरण खेत से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा, किसानों की खेत से जुड़े कार्य को करने की कुशलता बढ़ाएगा तथा खेती की लागत कम करेगा।

ii. धान, विशेषकर वह धान जो एसआरआई तकनीक से रोपा गया है, मे खरपतवार बड़ी समस्या है। खरपतवार को रोकने के लिए यंत्रीकृत नियंत्रण उपयुक्त विकल्प है।

iii. धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए उपयुक्त समय 15-20 दिनों तक सीमित है। यदि बुवाई को देर से किया जाता है तो उपज में काफी कमी आती है। पशु अथवा ट्रैक्टर चालित सीड ड्रिल अपनाकर कम समय में बड़े क्षेत्र में बुवाई की जा सकती है। इसके अलावा, सीड ड्रिल से बुआई किए जाने से फसल स्थिति पंक्ति की दूरी समान रहती है और जिससे अंत;कृषि कार्यों (इण्टरकल्चर) प्रचालन सरल होते हैं।

iv. ट्रैक्टर चालित रोटावेटर मृदा को बारीक कर देता है, मृदा में फसल अवशेषों को काट देता है और मिट्टी में मिला देता है।

v. नीचे सूचीबद्ध कृषि उपकरण राजसहायता के लिए योग्य होंगे:

- धान के लिए कोनोवीडर और अन्य छोटे कृषि उपकरण(हैण्डवीडर्स, व्हील हो, रेक, रोटरी टिलर, रीजर, मार्कर, फ्यूरो ओपनर आदि)
- आईसीएआर/एसएयू द्वारा संस्तुत धान के लिए पावर वीडर्स
- धान, गेहूं तथा दलहनों के लिए सीड ड्रिल/जीरो टिल सीड ड्रिल/मल्टीक्रॉपप्लांटर
- धान, गेहूं व दलहनों के लिए रोटावेटर्स
- धान, गेहूं और दलहनों के लिए नैपसैक स्प्रेयर्स (हस्त या विद्युत चालित)

vi. कृषि उपकरण, विशेषकर रोटावेटर्स, सीड ड्रिल और मल्टक्रॉप प्लान्टर आईएसआई मानकों के अनुरुप होने चाहिए या भारत सरकार के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, केन्द्रीय कृषि इंजिनयरिंग संस्थान(सीआईएई) भोपाल या एसएयू द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

vii. चयनित किसानों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए कृषि उपकरणों की लागत निर्धारित करने हेतु एसएफएसएमईसी को एजेंसी नामित करनी चाहिए।

viii. लाभार्थियों की सूची को जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिला परिषद के साथ विचार -विमर्श करके तथा डीएफएसएमईसी से अनुमोदित कराकर तैयार किया जाना चाहिए। चयनित लाभार्थियों को मशीने सप्लाई करने के लिए ग्राह्य राजसहायता व किसानों के अंश को शामिल करके मशीन की लागत की प्रतिपूर्ति एटीएमए द्वारा एसएफएसएमईसी द्वारा निर्धारित एजेंसी को की जाएगी।

ix. भा.कृ.अ.प. संस्थान- केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल इस मामले में तकनीकी समर्थन हेतु, नोडल संस्थान होगा।

14.4.1 धान, गेहूं और दलहन के लिए कोनोवीडर, नेपरोक स्प्रेयर और अन्य उपकरण

i. कोनोवीडर की खरीद के लिए प्रोत्साहन 3000 रू. प्रति किसान अथवा लागत के 50% जो भी कम हो, की दर से दिया जाएगा।

ii. एक लाभार्थी इस सुविधा को एक मशीन या सेट पर केवल एक बार ही ले सकता है अर्थात 3000/-रूपये या लागत का 50% तक सीमित जो भी कम हो।

14.4.2 धान, गेहूं और दालों के लिए जीरो-टिल सीड ड्रिल/सीड ड्रिल/बहु-फसल प्लांटर

(i) लाभानुभोगी किसानों को 15000 रू. प्रति मशीन अथवा लागत के 50% जो भी कम हो, की सहायता दी जाएगी। किसान मिशन की पूर्ण अवधि के दौरान यह लाभ केवल एक मशीन के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) सहायता केवल एकल व्यक्ति अथवा किसानों का स्वावलंबी समूह इस घटक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

14.4.3 धान, गेहूं एवं दालों के लिए रोटावेटर

(i) लाभानुभोगी किसानों/स्वावलंबी समूह को 3000 रू. प्रति मशीन अथवा लागत के 50% जो भी कम हो की सहायता दी जाएगी। एक किसान मिशन की पूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार लाभ प्राप्त कर सकता है।

(ii) एक किसान/स्वयं सहायता समूह मिशन के पूर्ण कार्यकाल के दौरान केवल एक मशीन के लिए सुविधा ले सकता है।

(iii) सहायता अधिमान्य तौर पर उन किसानों को दी जाएगी जो चावल-गेहूं, चावल-दलहन प्रणाली अपनाते हैं।

14.4.4 धान के लिए पावर वीडर्स

i. सहायता 15000/-रू. प्रति मशीन या लागत का 50% जो भी कम हो, लाभार्थी किसानों को प्रदान की जाएगी। एक किसान इस सुविधा का लाभ मिशन की समस्त अवधि के दौरान केवल एक मशीन के लिए ले सकता है।

14.5 **धान, गेहूं और दलहन में पम्प सेटों की खरीद के लिए सहायताः** तक

i. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति किसान 10 एच.पी. के प्रति पम्प सेटों की लागत के 50% अथवा 10,000 रु0, जो भी कम हो, की सहायता दी जाएगी। आईएसआई मानक अथवा भारत सरकार के कृषि मशीन प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल या एसएयू द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

ii. एनएफएसएम-धान, गेहूं, ~~एनएफएसएम~~-दलहन के तहत पम्प सेटों के लिए सहायता के लिए सभी राज्य पात्र हैं। तथापि, पम्प सेटों में बढ़ावा दिया जाएगा जो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित भू-गर्भ जल के काले या भूरे मण्डल के तहत श्रेणीकृत नहीं है।

iii कृषिगत पम्प सेटों को क्रियाशील करने के लिए इस घटक को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ समेकित किया जाएगा।

14.6 **दलहन के लिए स्प्रिन्कलर सेटों का वितरणः**

(i) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एनएफएसएम-दलहन के क्रियान्वयक जिलों में दलहन के अधीन सिंचाई क्षेत्र को विद्यमान 16 से बढ़ार 21 करना परिकल्पित है।

(ii) राज्य सभी स्कीमों के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के दौरान वितरित स्प्रिन्कलर सेटों का जिलावार ब्यौरा संकलित करेंगे। यह वार्षिक आधार पर इस घटक के मानिटरन के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने में मदद करेगा।

(iii) जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिला परिषद की सलाह से तैयार की गई लाभार्थियों की सूची को डी एस एफ एम सी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वे ही लाभार्थी चयनित किए जाएं जिन्होंने जिले में चलाई जा रही किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत इस तरह का लाभ न लिए हों।

(iv) इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता सभी श्रेणियों के किसानों को सेट की लागत के 50 प्रतिशत की दर से दी जाएगी, जो 7500 रुपये तक सीमित होगी।

14.7 **समेकित कीट प्रबंधन**

i. जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिला परिषद के साथ परामर्श करके तैयार की गई लाभानुभोगियों की सूची डीएसएफएमईसी अनुमोदित करेगी।

(ii) घटक के अंतर्गत लाभ माल के रूप में दिया जाएगा ।

(iii) आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चयनित राज्य/जिला स्तरीय एजेन्सियों की जिम्मेदारी होगी ।

14.7.1 धान के लिए पादप रक्षण रसायन और जैव-कृमिनाशी

i. चयनित जिलों में पादप रक्षण रसायनों और जैव-कीटनाशियों सहित समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 रूपये प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

ii. सहायता प्रति किसान अधिकतम 5 हैक्टेयर तक सीमित होगी ।

14.7.2 दलहन में आईपीएम

निम्नलिखित उपायों को समर्थन दिया जाएगा:

(क) फेरोमोन ट्रेपों का प्रयोग

(ख) अण्डों के ढेर, डिंभक और वयस्कों के संग्रहण और नाश; प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले वयस्क कीटों को फँसाने के लिए प्रकाश ट्रेपों के प्रयोग; गंभीर प्रकोप के दौरान खेतों के आसपास खाईयां खोदने के जरिए यांत्रिक नियंत्रण ।

(ग) प्राकृतिक रूप से उत्पन्न परजीवियों, परभक्षियों और रोगजनकों का संरक्षण करके जैव नियंत्रण ।

(घ) जैव-कृमिनाशियों का प्रयोग पादप संरक्षण संगरोध और भण्डारण निदेशालय की एसएयू/आईसीएआर/केन्द्रीय जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की सिफारिशों के बिल्कुल अनुकूल होगा ।

(ड.) रसायनों का प्रयोग ।

(च) कृमिनाशी, जैव-कृमिनाशी, बायो-एजेन्टों आदि सहित आईपीएम के लिए आवश्यकता आधारित आदानों हेतु वित्तीय सहायता 750 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से होगी ।

14.8 दलहन में प्रशिक्षकों और विस्तार कामगारों का प्रशिक्षण

i. धान परती भूमि, अंतर फसलन और आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में दलहनों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, किसानों के प्रशिक्षण तथा विस्तार समर्थन आयोजित किए जाएंगे ।

ii. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर राष्ट्रीय स्तर पर एनएफएसएम-दलहन कार्यान्वयन राज्यों के प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षकों के लिए संगोष्ठियों/ अधिकारियों के लिए आयोजित करने वाली नोडल एजेन्सी होगी । आईआईपीआर, कानपुर को प्रशिक्षण ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए तथा आईआईपीआर, कानपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रयोजना आधार पर समस्त 11वीं पचवर्षीय योजना के दौरान तथा देश में अन्य नामित संस्थाओं के लिए जिनके लिए एनएफएसएमईसी के समक्ष एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, के लिए 5 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

iii. 50 प्रशिक्षुओं के 1.0 लाख रूपये प्रति प्रशिक्षण की दर से सहायता के साथ एनएफएसएम-दलहन के तहत विस्तार कामगारों के प्रशिक्षण को संबंधित राज्यों द्वारा भी संचालित किया जायेगा । प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र दो दिवसीय अवधि का होगा ।

14.9 एफएफएस प्रतिमान पर किसानों का प्रशिक्षण

iv. कृषक क्षेत्रीय स्कूल (एफएफएस) का उद्देश्य किसानों को अपने खेतों में प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करना होगा ताकि वे उच्चतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए सर्वोत्तम फसल उत्पादन/फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियां अपनाने में समर्थ हो सकें ।

v. जिला कृषि अधिकारी द्वारा जिला परिषद के साथ परामर्श करके प्रत्येक कृषक क्षेत्रीय सकूल के लिए लाभानुभोगियों की सूची और स्थान डीएसएफएमईसी द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे ।

vi. प्रत्येक स्कूल प्रणालियों के संवर्धित पैकेज/एसआरआई/संकर धान प्रौद्योगिकी जैसा भी मामला हो, पर अच्छे प्रशिक्षण के निकटम पड़ोसी स्थल पर संचालित किए जाएगें ।

vii. किसानों का सप्ताह में एक दिन के लिए अपने खेतों में गेहूँ और चावल की फसल उत्पादन तथा फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर मौसम पर्यन्त प्रशिक्षण आयोजित होगा ।

viii. एनएफएसएम के जिला स्तरीय परामर्शदाताओं को अनन्य रूप से इन स्कूलों के संचालन के साथ संबद्ध होना आवश्यक होगा । वह राज्य परामर्शदाताओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों के साथ परामर्श से पाठयक्रम तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

ix. प्रत्येक 1000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए एक एफएफएस होगा । दो सुसाध्यक, जो एसएयू/भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों से लिए जाने वाले फसल उत्पादन/फसल संरक्षण में विशेषज्ञ होंगे, प्रत्येक एफएफएस का संचालन करेंगे । प्रत्येक एफएफएस के लिए किसानों की संख्या 30 तक सीमित होगी । प्रत्येक एफएफएस 4 से 5 घण्टों की अवधि के लिए सुबह अथवा सुसाध्यकों द्वारा यथा निर्णीत किसी भी सुविधाजनक समय पर चलाए जाएंगे ।

x. प्रत्येक एफएफएस में प्रशिक्षण सत्रों की कुल संख्या 8 से लेकर 20 तक होगी । कुछ सत्र साप्ताहिक हो सकते हैं जबकि अन्य इन स्कूलो के लिए तैयार किए गए पाठयक्रमों के आधार पर निर्भर करते हुए पाक्षिक आधार पर संचालित किए जा सकते हैं ।

xi अभिज्ञात जिलों में प्रति एफएफएस वित्तीय सहायता 17,000/रूपए प्रति प्रशिक्षण तक सीमित की जाएगी । एफएफएस के प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में मदों का विस्तृत ब्यौरा निम्नप्रकार हैं :

क्रम संख्या	विवरण/मद	राशि (रूपए)
1	एक सुसाध्यक के लिए 250 रूपए/सत्र पर मानदेय (20 सत्रों के लिए)	5000/-
2	एफएफएस प्रशिक्षण सामग्रियां, आपूर्तियां, स्टेशनरियां आदि	3000/-
3	प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षकों के लिए 30 किसानों के लिए प्रति सत्र 10 रूपए / व्यक्ति पर चाय/स्नैक्स	6000/-
4	फील्ड दिवस और अन्य विविध व्यय	3000/-
	कुल	**17000/-**

14.9 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का विगोपन दौरा

i. मिशन में लगे हुए तकनीकी कार्मिकों का ज्ञानाधार समृद्ध करने के लिए चावल (उत्पादन प्रौद्योगिकी, एसआरआई और चावल संकर) हेतु आईआरआरआई, मनीला, चीन, मेडागास्कर जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों, और गेहूं (जीरो–टिलेज और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी हेतु) सीवाईएमएमआईटी, मैक्सिकों और दलहन हेतु आईसीआरआईएसएटी में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के विगोपन दौरे आयोजित किए जाएंगे और प्रशिक्षण दिए जाएंगे ।

ii. योजना अवधि में 1 करोड़ रूपए की धनराशि दी जाएगी ।

iii. एनएफएसएमईसी परिकल्पित विगोपन दौरों का आयोजन करने के लिए मिशन निदेशक द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा ।

14.10 प्रचार, मास मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रिन्ट अन्य तरीकों के इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार शुरू किया जाएगा ।

ii. कार्यक्रम के मानीटरन के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू की जाएगी ।

iii. प्रचार और मॉस मीडिया घटक कृषि मंत्रालय, भारत सरकार तथा साथ ही राज्यों के विस्तार प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित किया जाएगा । मॉस–मीडिया विस्तार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 25 करोड़ रूपए और बाद के वर्षों के 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

iv. प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन हेतु एजेंसी कृषि एवं सहकारिता विभाग के विस्तार प्रभाग द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

v. विस्तार प्रभाग, निर्धारित प्रकिया के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

vi. एनएफएसएम के अधीन राज्यों को समग्र निमुर्क्ति के भाग के रूप में विस्तार प्रभाग के परामर्श पर राज्यों को इस घटक हेतु निधियां निर्मुक्त की जाएगी ।

vii. एसएफएसएमईसी "एनएफएसएम पर राज्य प्रचार अभियान उपसमिति" स्थापित करेगी, जो एनएफएसएम से संबंधित निधियों के उपयोग पर निर्णय सहित सभी प्रचार संबंधी मामलों के लिए जिम्मेवार होगी । यह उप समिति एसएफएसएमईसी के समग्र दिशानिर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी ।

viii. विस्तार प्रभाग राज्यों द्वारा प्रचार निधियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा । ये दिशानिर्देश जीसी के अनुमोदन से जारी किए जाएगे ।

ix. मिशन स्टेकहोल्डरों की सूचना संबंधी आवश्यकता के लिए सूचना अवसंरचना के सृजन, प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु 14 करोड़ रूपए दिए जाएंगे ।

14.11 सबसे बढ़िया कार्य करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार

(i) एनएफएसएम के कार्यान्वयन हेतु जिलों द्वारा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु पुरस्कार होंगे । दी जाने वाली पुरस्कार राशि तीन मिशनों–एनएफएसएम–गेहूं, चावल और दलहन में से प्रत्येक के लिए प्रति जिले प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए हैं । एसएफएसएमईसी द्वारा विधिवत जांची हुई राज्य एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों को इस प्रयोजनार्थ निधियां निर्मुक्त की जाएगी ।

(ii) तीन घटकों –एनएफएसएम–गेहूं, चावल और दलहन में से प्रत्येक के अधीन किसी राज्य में सर्वोत्कृष्ट निष्पादक जिलों के लिए राज्य स्तर पर प्रत्येक दो वर्ष पर पुरस्कार दिए जाएंगे । तीन घटकों –एनएफएसएम–गेहूं, चावल और दलहन में से प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट तीन जिलों के लिए एक पुरस्कार होगा जिसे मिशन के अंत में दिया जाना है ।

(iii) कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के आधार पर एसएफएसएमईसी पुरस्कार देने के लिए जिलों का चुनाव करेगा । एनएफएसएमईसी इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने के लिए जिलों का चयन करेगा ।

(iv) राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ट जिले में से प्रत्येक को पांच लाख रूपए की धनराशि और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक को 10 लाख रूपए की धनराशि मिलेगी ।

(v) राज्य पुरस्कार अधिमान्यतः स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/गांधी जंयती आदि पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे । राष्ट्रीय पुरस्कार रबी अभियान सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री द्वारा दिए जाएंगे ।

(vi) पुरस्कार हेतु धन का उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमानों का अनुसरण करते हुए जिला कृषि विभाग द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा ।

(vii) जिलों के कार्यनिष्पादन का निर्धारण 100 के पैमाने पर विभिन्न कार्यकलापों की गणना करके निर्धारित किया जाएगा । किसी राज्य में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले जिले को पुरस्कार के लिए चुना जाएगा । जिलों के कार्यनिष्पादन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये जाएंगे ।

	पैरामीटर सम्मुच्चय	**गणना**
क.	फसल–चावल,गेहूं,दलहन की उत्पादकता में वृद्धि	30
ख.	वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में निधियों का उपयोग	20
ग.	बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि	10
घ.	उर्वरक के संतुलित उपयोग को अपनाना	10

ङ.	समेकित कृमि प्रबंधन	10
च.	किसानों की क्षमता निर्माण	5
छ.	संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाना	5
ज.	क्षारीय/अम्लीय मृदा में सुधार	5
झ.	स्थानीय प्रयासों को अपनाना	5
	कुल	100

(viii) फसल की पैदावार यादृच्छिक रूप से चयनित प्रदर्शन प्लाटों से और किसानों के अन्य क्षेत्र से जहां जिलों में हस्तक्षेप अपनाए जा चुके हैं, परियोजना प्रबंधन दलों/केवीके द्वारा दर्ज की जाएंगी । इस प्रकार प्राप्त किए गए डाटा की राज्य में एसएयू के कुलपति के अधीन गठित तकनीकी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और पुनरीक्षण किया जाएगा ।

14.12 पायलेट परियोजनाएं

14.12.1 सिंचाई के लिए समुदाय उत्पादकों के संबंध में एनएफएसएम–गेहूं के तहत पायलट परियोजना

i. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उथले जल स्तर क्षेत्रों में समुदाय उत्पादकों के लिए सिंचाई हेतु किसानों के लिए सहायता दी जाएगी ।

ii. निधियां परियोजना के आधार पर निर्मुक्त की जाएंगी जिसकी इस प्रयोजनार्थ एनएफएसएमईसी द्वारा अभिज्ञात की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी ।

iii. शुरु में इस घटक हेतु 5 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है । राज्य/जिले क चयन के लिए आधारभूत मापदण्ड निम्नानुसार होंगेः-

क. बिजली की उपलब्धता अपर्याप्त है ।

ख. उथली गहराई पर पर्याप्त भू-जल उपलब्ध है ।

14.12.2 आईसीआरआईएसटी प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए एनएफएसएम दलहन के तहत पायलट परियोजना

आईसीआरआईएसएटी ने दलहन उत्पादन के लिए कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है । पायलट आधार पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हेतु सम्पूर्ण 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आईसीआरआईएसएटी के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है जिसके लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एनएफएसएमईसी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

14.12.3 नील गाय के प्रबंधन के लिए एनएफएसएम दलहन के तहत पायलट परियोजना

नील गाय जो कि दलहन फसलों के लिए एक खतरे के रुप में उभरी है, की समस्या से निपटने के लिए 11 वीं योजना के दौरान 2.00 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जायेगी । परियोजना आधार पर राज्यों को कोष निर्मुक्त कर दिये जायेंगे ।

14.13 स्थानीय कार्यक्रम

(i) महत्वपूर्ण स्थान विशिष्ट क्रियाकलापों जो मिशन के सामान्य क्रियाकलापों के तहत अन्यथा नहीं कवर किए जाते लेकिन चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होती है, का समर्थन करने के लिए जिलों को सहायता प्रदान की जायेगी ।

(ii) सम्पूर्ण 11 वीं योजना अवधि के लिए सहायता 2 करोड़ रुपए प्रति जिले तक सीमित होगी जहां मिशन की दो या इससे अधिक फसलें कार्यान्वित हैं । उन जिलों के लिए जहां केवल 1 फसल कार्यान्वित है, सहायता 1 करोड़ रुपए तक सीमित होगी ।

(iii) हस्तक्षेपों को जिले के एटीएमए द्वारा तैयार की गई कार्यनीतिक, अनुसंधान और विस्तार योजना(एसआरईपी) का हिस्सा होना चाहिए ।

(iv) यथा प्रस्तावित हस्तक्षेपों का मूल्यांकन राज्य स्तर के विशेषज्ञों के दल द्वारा किया जायेगा और राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन संबंधी कार्यकारी समिति द्वारा इसकी मंजूरी की जायेगी ताकि जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी को कोषों की निर्मुक्ति की जा सके ।

14.14 विविध व्यय

(i) एनएफएसएम के कार्यान्वियन में लगे हुए स्टाफ की आवाजाही में सुधार लाने के लिए वाहनों की पीओएल, मरम्मत और रख–रखाव करने, स्टेशनरी संबंधी तत्काल खर्च और अन्य विविध खर्चों के लिए पहले वर्ष के दौरान 1.50 लाख रु0 की दर से और शेष वर्षों के लिए 1 लाख रु0 प्रति वर्ष प्रति जिले की दर पर सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii) राज्य स्तर पर वाहनों की पीओएल, मरम्मत और रख रखाव, स्टेशनरी के आकस्मिक खर्चे और अन्य विविध खर्च के लिए 1.00 लाख रु0 प्रति वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जायेगी। प्रथम वर्ष में एक कम्प्यूटर कलपुर्जो (प्रिन्टर, मानीटर,यूपीएस) सहित 1.0 लाख रु0 की दर से सहायता भी प्रदान की जाएगी। तथापि ऐसी सहायता में राज्य सरकार के स्टाफ के वेतन और भत्ते जैसे आवर्ती खर्च संबंधी व्यय शामिल नहीं होंगे। प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रभावकारी विश्लेषण, आधारभूत सर्वेक्षण आदि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आउटसोर्सिंग हेतु 5.0 लाख रु0 प्रति वर्ष भी प्रदान किए जाएंगे।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार, संगोष्ठी के आयोजन, बुलेटिनों के प्रकाशन, कल पुर्जो सहित कम्प्यूटर,फर्नीचर की खरीद और अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहनों को किराए पर लेने आदि के लिए 30 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा, प्रभावकारी विश्लेषण हेतु 30 करोड़ रु0 और सहवर्ती मूल्यांकन के लिए 3.25 करोड़ रु0 निर्धारित किए गए हैं।

(iv) इन खर्चों को एनएफएसएमईसी के अनुमोदन के बाद और स्वीकृत सिद्धांतों तथा व्यय के मानकों के अनुसरण में ही किया जायेगा।

सहायता के उनके अनुमोदित मानकों के साथ घटकों के ब्यौरे **अनुबंध III(क) से III(ग)** में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

तकनीकी परामर्शदाताओं की मूलभूत शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव

स्तर तथा पद	शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव
क. जिला स्तर	
परामर्शदाता	1. क्षेत्र कृषि विस्तार सेवाओं में फसल उत्पादन के मामले में कम से कम 10 वर्षों के क्षेत्र अनुभव के साथ सस्य विज्ञान/कृषि विस्तार/मृदा विज्ञान/फसल सुधार में मास्टर डिग्री के साथ कृषि में बेसिक डिग्री । 2. व्यक्ति में दल नेतृत्व और प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए ।
तकनीकी सहायक	1. कम्प्यूटर की जानकारी के साथ कृषि में बेसिक डिग्री । 2. अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी ।
ख. राज्य स्तर	
परामर्शदाता	1. फसल उत्पादन/फसल सुधार में कम से कम 10 वर्षों के क्षेत्र अनुभव के साथ सस्य विज्ञान/कृषि विस्तार/मृदा विज्ञान/पादप प्रजनन में डाक्टरेट डिग्री । 2. आंकड़ों के विश्लेषण तथा परियोजनाओं के निरूपण की क्षमता तथा रिपोर्ट/सेमिनार नोट लेख लिखना जैसा कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन के जरिए प्रमाणित हो । 3. व्यक्ति में दल नेतृत्व और प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए ।
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1. क्षेत्र फसलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित सस्य विज्ञान/कृषि विस्तार/मृदा विज्ञान/पादप प्रजनन में डाक्टरेट डिग्री । कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य । 2. अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी ।
ग. राष्ट्रीय स्तर	
परामर्शदाता - तकनीकी	1. फसल उत्पादन/फसल सुधार में सस्य विज्ञान/कृषि विस्तार/ मृदा विज्ञान/पादप प्रजनन/फसल सुधार में डाक्टरेट डिग्री अथवा फसल उत्पादन/फसल सुधार/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/यंत्रीकरण में कम से कम 15 वर्ष का फील्ड अनुभव या भारत सरकार में अपर आयुक्त के स्तर का 5 वर्ष का अनुभव ।

स्तर तथा पद	शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव
	2. आंकड़ों के विश्लेषण तथा परियोजनाओं के निरूपण की क्षमता तथा रिपोर्ट/सेमिनार नोट लेख लिखना जैसा कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन के जरिए प्रमाणित हो । 3. व्यक्ति में दल नेतृत्व और प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए ।
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1. क्षेत्र फसलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता सहित सस्य विज्ञान/कृषि विस्तार/मृदा विज्ञान/पादप प्रजनन में ~~डाक्टरेट~~ मास्टर डिग्री । कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य । 2. अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी ।

अनुबंध–II(क)

एनएफएसएम–चावल जिले (136 जिले)

राज्य	जिले	राज्य	जिले	राज्य	जिले
1. आन्ध्र प्रदेश (11)		**5. गुजरात (2)**		**12. तमिल नाडु (5)**	
1	अदीलाबाद	1	दाहोद	1	नागापट्टिनम
2	गुन्टुर	2	पंचमहल	2	पुदुकोट्टई
3	खम्माम	**6. झारखण्ड (5)**		3	रामनाथपुरम
4	कृष्णा	1	गुमला	4	शिवगंगाई
5	मेहबूबनगर	2	हजारीबाग	5	थिरूवरूर
6	मेडक	3	रांची	**13. उत्तर प्रदेश (26)**	
7	नलगौण्डा	4	सिमदेगा	1	आजमगढ़
8	नेल्लोर	5	सिंहभूम (पश्चिम)	2	बदांउ
9	श्रीकाकुलम	**7. कर्नाटक (7)**		3	बहराईच
10	विसाखापट्टनम	1	बेलगाम	4	बलिया
11	विजयनगरम	2	दक्षिण कन्नड़ा	5	बलरामपुर
2. असम (13)		3	हसन	6	बान्दा
1	बारपेटा	4	रायचुर	7	बरेली
2	बोन्गाईगांव	5	शिमोगा	8	बस्ती
3	दररंग	6	उदुपी	9	~~दओरिया~~ देवरिया
4	धेमाजी	7	उत्तरकन्नड़ा	10	फतेहपुर
5	गोलपारा	**8. केरल (1)**		11	गाजीपुर
6	करबी–अंगलोग	1	पल्लक्काड़	12	गोण्डा
7	कोकराझार	**9. मध्यप्रदेश (9)**		13	गोरखपुर
8	लखीमपुर	1	अनुपपुर	14	हरदोई
9	मोरीगांव	2	दमोह	15	मैनपुरी
10	नलबाड़ी	3	डिन्डौरी	16	मऊ
11	सोनीतपुर	4	कटनी	17	मिर्जापुर
12	नागौन	5	मण्डला	18	रायबरेली
13	तिनसुकिया	6	पन्ना	19	रामपुर
3. बिहार (18)		7	रीवा	20	सहारानपुर
1	अररिया	8	सतना	21	~~शिवास्ती~~ श्रावस्ती
2	बांका	9	शहडोल	22	सिद्धार्थनगर
3	चम्पारन (पूर्व)	**10. महाराष्ट्र (6)**		23	सीतापुर
4	चम्पारन (पश्मिम)	1	भण्डारा	24	सोनभद्र
5	दरभंगा	2	चन्द्रपुर	25	सुलतानपुर
6	गया	3	गढ़चिरौली	26	उन्नाव

7	जमुई	4	गोण्डा	**14. पश्चिम बंगाल (8)**	
8	कैथर	5	नासिक	1	24 परगना (दक्षिण)
9	किशनगंज	6	पुना	2	कूच–बिहार
10	मधुबनी	**11. उड़ीसा (15)**		3	दीनापुर (उत्तर)
11	मधेपुरा	1	अंगुल	4	हावड़ा
12	मुजफ्फरपुर	2	बोलांगीर	5	जलपाईगुड़ी
13	नालंदा	3	बौण्डा	6	मिदनापुर (पूर्व)
14	सहरसा	4	देवघर	7	मिदनापुर (पश्चिम)
15	समस्तीपुर	5	धेंकनाल	8	पुरलिया
16	सीतामढ़ी	6	जाजपुर		
17	सिवान	7	झारसुकड़ा		
18	सुपौल	8	कालाहांडी		
4. छत्तीसगढ़ (10)		9	क्योंझर		
1	दंतेवाड़ा	10	मलकानगिरी		
2	जंजगीर–चम्पा	11	नवापारा		
3	जसपुर	12	नवरंगपुर		
4	कवर्धा	13	नयागढ़		
5	कोरबा	14	फुलबनी		
6	कोरिया	15	सुन्दरगढ़		
7	रायगढ़				
8	रायपुर				
9	राजनांदगांव				
10	सरगुजा				

अनुबंध–II (ख)

एनएफएसएम– गेहूं वाले जिले (कुल 141 जिले)

राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला
1. बिहार (25)		**4 मध्य प्रदेश जारी**		**8 उत्तर प्रदेश (38)**	
1	अररिया	15	कटनी	1	इलाहाबाद
2	बांका	16	मांडला	2	अम्बेडकर नगर
3	भागलपुर	17	पान्ना	3	आजमगढ़
4	भबुआ	18	रायसेन	4	बहराईच
5	चंपारण (पूर्व)	19	राजगढ़	5	बलिया
6	चंपारण (पश्चिम)	20	रीवा	6	बलरामपुर
7	दरभंगा	21	सागर	7	बाराबंकी
8	जमुई	22	सतना	8	बरेली
9	कटिहार	23	शाहडोल	9	बस्ती
10	खगडिया	24	शिवहर	10	चन्दौली
11	किशनगंज	25	सियोनी	11	देवरिया
12	मधुबनी	26	शिवपुरी	12	फैजाबाद
13	मधेपुरा	27	सिद्धि	13	फतेहपुर
14	मुंगेर	28	टीकमगढ़	14	गाजीपुर
15	मुजफ्फरपुर	29	उज्जैन	15	गोण्डा
16	नालंदा	30	विदिशा	16	गोरखपुर
17	नवादा	**5 महाराष्ट्र (8)**		17	हमीरपुर
18	पूर्णिया	1	अहमदनगर	18	हरदोई
19	रोहतास	2	औरंगाबाद	19	जौनपुर
20	समस्तीपुर	3	धुले	20	झांसी
21	सारण	4	नागपुर	21	कौशाम्बी
22	शेखपुरा	5	नासिक	22	कुशीनगर
23	सीतमाढ़ी	6	प्रभनी	23	लखनऊ
24	सुपौल	7	पुणे	24	महाराजगंज
25	वैशाली	8	शोलापुर	25	मैनपुरी
2 गुजरात (4)		**6 पंजाब (10)**		26	मथुरा
1	अहमदाबाद	1	अमृतसर	27	मऊ

2	बनासकांठा	2	बरनाला	28	प्रतापगढ़
3	साबरकांठा	3	भटिंडा	29	रायबरेली
4	मेहसाणा	4	फिरोजपुर	30	रविदास नगर
3 हरियाणा (7)		5	गुरूदासपुर	31	संत कबीर नगर
1	अम्बाला	6	होशियारपुर	32	श्रावस्ती
2	भिवानी	7	मोहाली	33	सिद्धार्थनगर
3	गुड़गांव	8	रूपनगर	34	सीतापुर
4	झज्जर	9	संगरूर	35	सोनभद्र
5	रोहतक	10	तरण तारण	36	सुल्तानपुर
6	महेन्द्रगढ़	**7 राजस्थान (15)**		37	उन्नाव
7	यमुनानगर	1	अजमेर	38	वाराणसी
4 मध्य प्रदेश (30)		2	बांसवाड़ा	**9 पश्चिम बंगाल (4)**	
1	बालाघाट	3	भीलवाड़ा	1	कूचविहार
2	बेतुल	4	बीकानेर	2	दीनाजपुर (उ0)
3	भिंड	5	जयपुर	3	दीनाजपुर (द0)
4	छत्तरपुर	6	जालोर	4	जलपाईगुड़ी
5	दामोह	7	झालावाड़		
6	देवास	8	कोटा		
7	धार	9	नागौर		
8	दिनदोरी	10	पाली		
9	ईस्ट निमार	11	सवाई माधोपुर		
10	गुना	12	सीकर		
11	हारदा	13	सिरोही		
12	इन्दौर	14	टोंक		
13	जबलपुर	15	उदयपुर		
14	झाबुआ				

दलहन

एनएफएसएम–दाल जिले (कुल 171 जिले)

राज्य	जिले	राज्य	जिले
1. आन्ध्र प्रदेश (14)	अदीलाबाद	5. हरियाणा (5)	भिवानी
	अनन्तपुर		हिसार
	कुड्डपा		रोहतक
	पूर्वी गोदावरी		सिरसा
	गुन्टुर		सोनीपत
	खम्माम	कुल	5 जिले
	कृष्णा	6. कर्नाटक (13)	बगलकोट
	करूनूल		बेलगाम
	मेहबूबनगर		बेल्लारी
	नलगौण्डा		बीदर
	निजामाबाद		बिजापुर
	प्रकाशम		चित्रदुर्गा
	श्रीकाकुलम		धारवाड़
	वारंगल		गडग
कुल	14 जिले		गुलबर्गा
2. बिहार (13)	अररिया		कोप्पल
	औरंगाबाद		मैसूर
	भभुआ		रायचुर
	भोजपुर		तुमकुर
	मधुबनी	कुल	13 जिले
	म्हादेवपुरा	7. मध्य प्रदेश (20)	छत्तरपुर
	मुज्जफरपुर		छिन्दवाड़ा
	नालन्दा		दमोह
	पटना		देवास
	पूर्णिया		गुना
	सहरसा		जबलपुर
	समस्तीपुर		झाबुआ
	सौपाल		नरसिंहपुर
कुल	13 जिले		पन्ना
3. छत्तीसगढ़ (8)	बिलासपुर		रायसेन
	दुर्ग		राजगढ़
	जसपुर		रीवा

6	कवर्धा	13	सागर
5	रायगढ़	14	सतना
7	राजनांदगांव		सिवनी
8	सरगुजा		शाजापुर
कुल	8 जिले		शिवपुरी
4. गुजरात (11) 1	बांसकान्ठा		टिकमगढ़
2	बरूच		उज्जैन
3	दोहद	20	विदिसा
	जामनगर	कुल	20 जिले
	कच्छ	9. उड़ीसा (10) 1	बोलांगीर
	नर्मदा	2	बारागाह
	पंचमहल	3	कटक
	पाटन		गंजम
	साबरकांठा		कालाहांडी
	सूरत		क्योंझर
11	वडोदरा		कुरदा
कुल	11 जिले		नयागढ़
8. महाराष्ट्र (18) 1	अहमदनगर		पुरी
2	अकोला	10	रायगड
	अमरावती	कुल	10 जिले
	औरंगाबाद	11. राजस्थान (16) 1	अजमेर
	बुलढाना	2	बाडमेर
	चन्द्रपुर	3	बीकानेर
	हिंगोली	4	चित्तौड़गढ़
	जलगांव		चुरू
	जालान		दौसा
	लातूर		गंगानगर
	नागपुर		हनुमानगढ़
	नान्देड		जयपुर
	नासिक		झुनझुन
	उस्मानाबाद		जोधपुर
	परभनी		कोटा
	वर्धा		नागौर
	वाशिम		प्रतापगढ़
18	यवतमाल		सीकर
		16	टोंक
कुल	18 जिले	कुल	16 जिले

10. पंजाब (7) 1	लुधियाना	13. उत्तर प्रदेश (19) 1	झांसी
2	संगरूर	2	जालौन
3	फिरोजपुर	3	हमीरपुर
4	गुरदासपुर		सीतापुर
5	अमृतसर		बांदा
कुल	5 जिले		चित्रकूट
			महोबा
12. तमिलनाडु (12) 1	कोयम्बटुर		बहराइच
2	कुड्डालारे		बाराबंकी
	एरोड़		खीरी
	नागापट्टीनम		ललितपुर
	नामक्कल		कानपुर (देहात)
	थिरूवल्लुर		कौशांबी
	थिरूवरूर		मिर्जापुर
	ठेठुकुडी		बदायूं
	तिरूवन्नमलाई		बलिया
	वेल्लुर		फतेहपुर
	विल्लुपुरम		बलरामपुर
12	विरूदुनगर	19	चन्दौली
कुल	12 जिले		
		14. पश्चिम बंगाल (5) 1	वीरभूम
		2	मालदा
		3	मुर्शिदाबाद
		4	नाडिया
		5	पुरलिया
		कुल	5 जिले

अनुबन्ध–III

क्र.सं.	घटक	सहायता के प्रतिमान	फसल जिसमें अनुज्ञेय है		
			चावल	गेहूं	दलहन
1.	प्रदर्शन				
1.1	उन्नत पैकेज	चावल के लिए 0.40 है0 क्षेत्र हेतु 2500 रूपये प्रति प्रदर्शन और गेहूं के लिए 0.40 है0 क्षेत्र हेतु 2000 रूपये प्रति प्रदर्शन	√	√	
1.2	एस आर आई एवं संकर	0.40 है0 क्षेत्र हेतु 3000 रूपये प्रति प्रदर्शन	√		
2.	**बीज उत्पादन/खरीद**				
	दलहनों के प्रजनक बीज का उत्पादन एवं अवसंरचना विकास	परियोजना आधार पर वार्षिक रूप से आईआई पीआर को 2.0 करोड़ रूपये			√
	आईसीएआर/एसएयू से दलहनों के प्रजनक बीजों की खरीद	पूर्ण लागत की वापसी (5625 रूपये प्रति क्विंटल)			√
	दलहनों के आधारी एवं प्रमाणिक बीजों का उत्पादन	दलहनों के लिए 1000/रू0 प्रति क्विंटल	√		
	संकर चावल बीज का उत्पादन	संकर चावल के लिए 1000/ रू0 प्रति क्विंटल			√
	बीज प्रमाणन एजेंसी का सुदृढ़ीकरण	प्रतिवर्ष प्रतिराज्य 25.0 लाख रूपये			√
	प्रजनक बीज उत्पादन के लिए आईआईपीआर, कानपुर के अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	XI वीं योजना के लिए 5.00 करोड़ रूपये			
3.	**बीज वितरण**				
	चावल, गेहूं तथा दलहन के एचवाईवी	(i) चावल तथा गेहूं के लिए 500/रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो। (ii) दलहनों के लिए 1200 रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	चावल के संकर	2000 रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√		
	उच्च पैदावार वाली किस्मों/संकरों के बीज मिनिकीट	अन्य अधिभार सहित उच्च पैदावार वाली किस्मों/संकरों के बीज की पूर्ण लागत **(मिनीकिट के आकार:** गेहूं के लिए प्रत्येक 10 कि0 ग्रा0, चावल के एचवाईवी के लिए प्रत्येक 5 कि0 ग्रा0 और चावल के संकर के लिए प्रत्येक 6 कि0 ग्रा0)	√	√	
4.	**फार्म मशीनरियां**				
	कोनोवीडर और अन्य फार्म उपकरण	मशीनों के एक या पूरे सेट के लिए (केवल चावल के लिए कोनोवीडर और समबद्ध उपकरण, एनएफएसएम के सभी फसलों के लिए अन्य छोटे उपकरण) 3000 रूपये प्रति किसान या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√

क्र.सं.	घटक	सहायता के प्रतिमान	फसल जिसमें अनुज्ञेय है		
			चावल	गेहूं	दलहन
	कनैपसक स्प्रेयर (मानव एवं उर्जा चालित)	एक या स्प्रेयरों के पूरे सेट के लिए 3000 रूपये प्रति किसान या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	जीरो टिल सीड ड्रील	15000 रूपये प्रति जीरो टिल सीड ड्रील या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	मल्टी-क्राप प्लांटर	15000 रूपये प्रति मल्टी क्राप प्लांटर या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	बीज सह उर्वरक ड्रील	15000 रूपये प्रति बीज सह उर्वरक ड्रील या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	रोटावेटर	30000 रूपये प्रति रोटावेटर या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	पावर वीडर	15000 रूपये प्रति पावर वीडर या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√		
5.	**सिंचाई उपकरण**				
	पम्प सेट (डीजल एवं विद्युत)	10000/रूपये प्रति 10 एच पी तक की क्षमता वाले पम्प सेट या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।	√	√	√
	स्प्रिंकलर प्रणाली	7500 रूपये प्रति है0 या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो		√	√
6.	**पौध संरक्षण**				
	चावल मे पौध संरक्षण रसायन एवं जैव कीटनाशी	500 रूपये प्रति है0 या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो	√		
	रसायनों, जैव कीटनाशियों, फेरोमोन ट्रैप्स आदि सहित आईपीएम	750 रूपये प्रति है0 या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो			√
7.	**सूक्ष्म पोषण तत्व एवं मृदा सुधार**				
	गेहूं/दलहन में जिप्सम	जिप्सम एवं सूक्ष्म पोषण तत्वों सहित के लिए गेहूं हेतु अनुमन्य 1000 रूपये प्रति है0 के पैकेज के अन्दर 750 रू0 प्रति है0 तक सीमित, सामग्री की लागत तथा परिवहन लागत के 50 % पर सहायता		√	√
	चावल, गेहूं एवं दलहन में सूक्ष्म पोषक तत्व	जिप्सम/लाईम एवं सूक्ष्म पोषण तत्वों सहित के लिए दलहनों में अनुमन्य 1250 रूपये प्रति है0 और गेहूं तथा चावल के लिए अनुमन्य 1000 रू0 प्रति है0 के पैकेज के अन्दर 500 रू0 प्रति है0 तक सीमित, लागत के 50 % पर सहायता	√	√	√

क्र.सं.	घटक	सहायता के प्रतिमान	फसल जिसमें अनुज्ञेय है		
			चावल	गेहूं	दलहन
	चावल में लाईम/लाईमिंग सामग्री और दलहन में लाईम/जिप्सम	चावल में लाईम के लिए 500 रू0 प्रति है0 तक सीमित लागत के 50% पर और लाईम/जिप्सम के लिए दलहन में 750 रू0 प्रति है0 तक सीमित सामग्री एवं परिवहन अधिभार की लागत के 50% पर सहायता	√		√
8.	**प्रशिक्षण**				
	किसानों को प्रशिक्षण देने सहित प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना विकास	1.0 करोड़ रूपये प्रति वर्ष			√
	एफएफएस की पद्धति पर कृषक प्रशिक्षण	पूरे मौसम तक प्रशिक्षण के लिए 17000/- रू0 प्रति एफएफएस	√	√	√
	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	1.0 लाख रूपये प्रति प्रशिक्षण			√
9.	**पायलट परियोजनाएं**				
	आईसीआरआईएसएटी प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन	परियोजना आधार पर वित्त पोषण। XI वीं योजना के लिए 20.0 करोड़ रूपये निर्धारित			√
	नील गाय की रोकथाम	परियोजना आधार पर वित्त पोषण। XI वीं योजना के लिए 2.0 करोड़ रूपये निर्धारित			√
	सिंचाई के लिए सामुदायिक सृजनकर्ता	परियोजना आधार पर वित्त पोषण। XI वीं योजना के लिए 5.0 करोड़ रूपये निर्धारित		√	
10.	**प्रचार एवं जनसंचार अभियान**	2007-08 के लिए 25 करोड़ रूपये और XI वीं योजना के शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 करोड़ रूपये का कुल आवंटन राज्यों का आवंटन एनएफएसएम के तहत जिलों की संख्या एवं क्षेत्र कवरेज पर आधारित होगा। 20% कोष राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए जाने हैं।	√	√	√
11.	**राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार**	स्वीकृत मानकों/सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य में बेहतर जिलों के लिए (दो वर्ष बाद) एसएफएसएमईसी द्वारा निर्धारित किया गया 5.0 लाख रूपये। प्रत्येक फसल में देश में एनएफएसएम जिलों में बेहतर जिलों को 10.0 लाख रूपये।	√	√	√
12.	**खुले दौरे**	राष्ट्रीय स्तर पर आरंभिक दो वर्षों के लिए चावल तथा गेहूं प्रत्येक में 1.0 करोड़ रूपये	√	√	
13.	**स्थानीय पहलें**	वित्त पोषण परियोजना के आधार पर । उन जिलों के लिए XI वीं योजना के दौरान 2.0 करोड़ रूपये प्रति जिले जिनके पास एनएफएसएम की दो या अधिक फसलें है और जिनके पास केवल एक फसल है 1.0 करोड़ रूपये प्रति जिला।	√	√	√

क्र.सं.	घटक	सहायता के प्रतिमान	फसल जिसमें अनुज्ञेय है		
			चावल	गेहूं	दलहन
14.	परियोजना प्रबंधन दल				
	राष्ट्रीय स्तर	परामर्शकों के लिए 35000/- रूपये प्रति माह तथा तकनीकी सहायकों के लिए 15000/- रू0 प्रति माह का मानदेय	6 परामर्शक और 8 वरिष्ठ तकनीकी सहायक		
	राज्य स्तर	परामर्शकों के लिए 20000/- रूपये प्रति माह तथा तकनीकी सहायकों के लिए 12000/- रू0 प्रति माह का मानदेय	चावल और गेहूं प्रत्येक में 2 परामर्शक और 2 वरिष्ठ तकनीकी सहायक और दलहन में 1 परामर्शक और 2 वरिष्ठ तकनीकी सहायक		
	जिला स्तर	परामर्शकों के लिए 15000/- रूपये प्रति माह तथा तकनीकी सहायकों के लिए 8, 000/- रू0 प्रति माह का मानदेय	1 परामर्शक और 4 वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1 परामर्शक और 4 वरिष्ठ तकनीकी सहायक	1 परामर्शक और 2 वरिष्ठ तकनीकी सहायक
15.	मिश्रित खर्चे				
	जिला स्तर	चावल के लिए 6.36 लाख रू0 प्रति जिला प्रति वर्ष और गेहूं के लिए 6.38 लाख रू0 प्रति जिला प्रति वर्ष और दलहन के लिए 4.47 लाख रू0 प्रति जिला प्रति वर्ष। इसमें जिले में परामर्शकों और वरिष्ठ तकनीकी सहायकों के वेतन शामिल हैं।	√	√	√
	राज्य स्तर	चावल, गेहूं प्रत्येक के लिए 13.87 लाख रू0 प्रति राज्य प्रति वर्ष और दलहन के लिए 6.28 लाख रू0 प्रति राज्य प्रति वर्ष। इसमें राज्य में परामर्शकों और वरिष्ठ तकनीकी सहायकों के वेतन शामिल हैं।	√	√	√
	राष्ट्रीय स्तर	चावल, गेहूं प्रत्येक के लिए 84.56 लाख रू0 प्रति प्रति वर्ष और दलहन के लिए 88.40 लाख रू0 प्रति प्रति वर्ष। इसमें परामर्शकों और वरिष्ठ तकनीकी सहायकों के वेतन तथा आकस्मिक खर्च शामिल हैं।			
	समवर्ती मूल्यांकन	2008-09 से आगे से चावल, गेहूं और दलहन के लिए 25 लाख रू0 प्रति वर्ष	√	√	√
	प्रभावकारी विश्लेषण	चावल और गेहूं प्रत्येक के लिए 1.5 करोड़ रूपये	√	√	

अनुबन्ध-III

अनुबंध -III (ब)

एन एफ एस एम–चावल के घटकों के लिए सहायता के प्रतिमान

क्र.सं.	घटक	वर्णन/पूर्वानुमान	सहायता के प्रतिमान
1.	पद्धतियों के उन्नत पैकेज का प्रदर्शन	उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, पौध संरक्षण, खर पतवार नाशी के लिए सहायता। लक्ष्य क्षेत्र 12 मिलियन है0 चावल के प्रत्येक 100 है0 क्षेत्र पर 0.4 है0 क्षेत्र में एक प्रदर्शन। प्रदर्शनों की कुल संख्या = 1.2 लाख	2500/– रूपये प्रति 0.4 है0 क्षेत्र पर प्रदर्शन
2.	चावल सघनीकरण के प्रणाली का प्रदर्शन	उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, पौध संरक्षण, खर पतवार नाशी के लिए सहायता। लक्ष्य क्षेत्र 5 मिलियन है0 चावल के प्रत्येक 100 है0 क्षेत्र पर 0.4 है0 क्षेत्र में एक प्रदर्शन। प्रदर्शनों की कुल संख्या =0.5 लाख	3000/– रूपये प्रति 0.4 है0 क्षेत्र पर प्रदर्शन
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन	उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, पौध संरक्षण, खर पतवार नाशी के लिए सहायता। लक्ष्य क्षेत्र 3 मिलियन है0 चावल के प्रत्येक 100 है0 क्षेत्र पर 0.4 है0 क्षेत्र में एक प्रदर्शन। प्रदर्शनों की कुल संख्या =0.3 लाख	3000/– रूपये प्रति 0.4 है0 क्षेत्र पर प्रदर्शन
4.	संकर चावल बीज के संवर्द्धन के लिए सहायता		
	(क) संकर चावल बीज के उत्पादन के लिए सहायता	लक्ष्य क्षेत्र 3 मिलियन है0। 15 कि0 ग्रा0 प्रति है0 की दर से कुल बीज मांग=4.5 लाख क्विंटल	1000/– रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।
	(ख) संकर चावल बीज के वितरण हेतु सहायता	लक्ष्य क्षेत्र 3 मिलियन है0। 15 कि0 ग्रा0 प्रति है0 की दर से कुल बीज मांग=4.5 लाख क्विंटल	2000/– रू0 प्रति क्विंटल या लागत का 50% इसमें से जो भी कम हो।
5.	एच वाई वी बीज के वितरण हेतु सहायता	लक्ष्य क्षेत्र 20 मिलियन है0। इच्छित एस आर आर 33%। 20 मिलियन है0 में 33% एस आर आर प्राप्त करने के लिए 40 कि0 ग्रा0 प्रति है0 बीज दर की दर से कुल बीज मांग = 26.4 लाख क्विंटल	5 रूपये प्रति कि0 ग्रा0 या लागत के 50% की दर से सहायता इसमें से जो भी कम हो।
6.	उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज मिनिकीट	लक्ष्य क्षेत्र 20 मिलियन है0। चावल के प्रत्येक 50 है0 क्षेत्र में 5 कि0 ग्रा0 का एक बीज किट। कुल बीज मांग= 0.2 लाख क्विंटल प्रति वर्ष।	बीज की पूर्ण लागत
7.	सूक्ष्म पोषण तत्वों (खराब मृदा में) के लिए प्रोत्साहन	लक्ष्य क्षेत्र 3.02 मिलियन है0 अर्थात लक्षित जिलों के खराब क्षेत्र का लगभग 30%	500 रू0 प्रति है0 की दर से या लागत का 50% के आधार पर सहायता इसमें से जो भी कम हो
8.	क्षारीय मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	लक्ष्य क्षेत्र 3.02 मिलियन है0। लक्षित जिलों में क्षार प्रभावित मृदा का लगभग 30%	500 रू0 प्रति है0 की दर से या लागत का 50% के आधार पर सहायता इसमें से जो भी कम हो

अनुबन्ध–III(क) जारी

एन एफ एस एम–चावल के घटकों के लिए सहायता के प्रतिमान

क्र.सं.	घटक	वर्णन/पूर्वानुमान	सहायता के प्रतिमान
9.	कोनोवीडर और अन्य फार्म उपकरणों के लिए प्रोत्साहन	क्षेत्र जहां एस आर आई का संवर्द्धन किया जाना है, में लक्ष्य 4,50,000 कोनोवीडर को प्रदान करना।	3000/– रू0 प्रति किसान के दर पर या लागत का 50% के आधार पर सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
10.	जीरोटिल सीड ड्रील		15000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
11.	मल्टी–क्राप प्लांटर		15000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
12.	सीड ड्रील		15000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
13.	रोटावेटर		30,000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
14.	डीजल पम्प सेटों के लिए प्रोत्साहन		10,000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
15.	पावर वीडर का वितरण		15000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
16.	स्नैप सेक स्प्रेयर		3,000/– रू0 प्रति मशीन तक सीमित लागत के 50% की दर से सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
17.	पौध संरक्षण रसायनों एवं जैव कीट नाशियों के लिए सहायता	लक्ष्य 2.1 मि0 है0। चावल के लक्षित क्षेत्र का लगभग 10%	500/– रू0 प्रति है0 की दर पर या लागत का 50% के आधार पर सहायता, इसमें से जो भी कम हो।
18.	कृषक प्रशिक्षण		
	(क) एफ एफ एस पद्धति पर किसानों का प्रशिक्षण	प्रत्येक 1000 है0 (2–3 गांव) पर एक एफ एफ एस	17000/– रू0 प्रति प्रशिक्षण (पूर्ण लागत)
19.	बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले के लिए पुरस्कार	निष्पादन आधारित। प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रत्येक राज्य में एक जिला।	5.0 लाख रूपये प्रति वर्ष (पूर्ण लागत)

जारी

एनएफएसएम–चावल के घटक के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र0 सं0	घटक	विवरण/अनुमान	सहायता प्रतिमान
20	केन्द्र एवं राज्य सरकारों के तकनीकी स्टाफ के तकनीकी ज्ञान बढ़ाने हेतु अन्तरर्राष्ट्रीय विगोपन	संकर चावल प्रौद्योगिकी के लिए चीन का विगोपन दौरा और एसआरआई के लिए मैडागैस्कर का दौरा	पहले दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1.0 करोड़ रुपये
21	विडियो कान्फ्रोसिंग, मास मीडिया अभियान तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रचार के लिए प्रोत्साहन		पहले वर्ष के दौरान 25 करोड़ रु0 और शेष अवधि में 50 करोड़ रुपये/प्रतिवर्ष
22	विविध व्यय		पूरी लागत
	(क) जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल और अन्य विविध खर्चे		प्रति वर्ष प्रति जिला 6.36 लाख रुपये
	(ख)राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल और अन्य विविध खर्चे		प्रति वर्ष प्रति राज्य 13.87 लाख रुपये
	(ग) राष्ट्रीय स्तर पर विविध व्यय		प्रति वर्ष 84.56 लाख रुपये

अनुबंध–III(ख)

एनएफएसएम–गेहूं के घटकों के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र0सं0	घटक	विवरण	सहायता का प्रतिमान
1	उन्नत पद्धति पैकेज का प्रदर्शन	उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, पादप रक्षण, खरपतवारनाशक के लिए सहायता । लक्षित क्षेत्र 13 मि0हैक्टे0 । गेहूं के प्रत्येक 50 हैक्टे0 क्षेत्र पर 0.4 हैक्टे0 का एक प्रदर्शन । प्रदर्शनों की कुल संख्या = 2.6 लाख	प्रति प्रदर्शन 2000 रूपए की दर से सहायता ।
2	13 मिलियन हैक्टे0 में बीज प्रतिस्थापन (33 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर)	लक्षित क्षेत्र 13 मि0हैक्टे0 । वांछित बीज प्रतिस्थापन दर 33 प्रतिशत । 13 मिलियन हैक्टे0 में 33 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने के लिए 100 कि0ग्रा0 हैक्टे0 बीज दर की दर से बीजों की कुल आवश्यकता = 42.9 लाख क्विंटल	5 रूपए प्रति किलोग्राम अथवा लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से सहायता ।
3	बीज मिनिकिटों का वितरण	लक्षित क्षेत्र 13 मि0हैक्टे0 । प्रत्येक 50 हैक्टे0 पर 5 कि0ग्रा0 का एक बीज मिनिकिट । 2.6 लाख बीज मिनिकिट हेतु अपेक्षित कुल बीज = 0.13 लाख क्विंटल प्रति वर्ष	बीज की कुल लागत
4	सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु प्रोत्साहन	लक्षित क्षेत्र 5 मि0हैक्टे0 है अर्थात अभिज्ञात जिलों का लगभग 40 प्रतिशत और कमी वाले क्षेत्र का 85 प्रतिशत ।	**एनएफएसएम–गेहूं** में सूक्ष्म पोषक तत्वों और जिप्सम हेतु हेतु पैकेज सहायता लागत का 50 प्रतिशत होगी, जो प्रति हैक्टेयर 1000 रूपए तक सीमित होगी राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इस पैकज में जिप्सम और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संगत भाग का निर्णय करने का अधिकार होगा । तथापि जिप्सम हेतु सहायता प्रति हैक्टेयर 750 रूपए से अनधिक अथवा परिवहन लागत सहित, लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, होना चाहिए । उदाहरणार्थ यदि राज्य जिप्सम हेतु सहायता

			लागत के 25 प्रतिशत की दर से अथवा 750 रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो, चाहता है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु अधिकतम सहायता 250 रूपए प्रति हैक्टेयर अथवा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी ।
5	जिप्सम हेतु प्रोत्साहन (नमक प्रभावित मृदा)	लक्षित क्षेत्र 2 मि0हैक्टै0 (लक्षित जिलों का लगभग 6 मिलियन हैक्टे0 क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के हिस्से (पूर्वी और पश्चिमी जिले) और गुजरात में है जहां लवणता/क्षारीयता प्रमुख समस्या है)।	500 रूपए प्रति हैक्टे0 या लागत के 50 प्रतिशत , जो भी कम हो, की दर से सहायता
6	जीरो टिल सीड ड्रिल	लक्ष्य 75666 मशीनें	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 15000 रूपए प्रति मशीन, जो भी कम हो, की दर से सहायता
7	रोटावेटर	लक्ष्य 15000 रोटावेटर	लागत के 50 प्रतिशत अथवा 30000 रूपए प्रति मशीन, जो भी कम हो, की दर से सहायता
8	बहु–विषयक प्लांटर		15,000 रूपए प्रति मशीन की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत सहायता ।
9	सीड्–ड्रिल		15,000 रूपए प्रति मशीन की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत सहायता ।
10	स्प्रिंकलर सेट का वितरण		7,500 रूपए प्रति हैक्टेयर की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत सहायता ।

11	नैप सैक स्प्रेयर		3000 रूपए प्रति मशीन की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत सहायता ।
12	निम्न भूमिगत जल स्तर वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सामुदायिक जनरेटर संबंधी पायलट परियोजना	पायलट आधार	5 करोड़ रूपए (पूर्ण लागत)
13	डीज़ल पम्पसेटों के लिए प्रोत्साहन	70000 पम्पसेट	लागत के 50 प्रतिशत अथवा प्रति किसान प्रति पम्पसेट 10000 रूपए, जो भी कम हो, की दर से सहायता
14	एफएफएस प्रतिमान पर किसान प्रशिक्षण	लक्षित जिलों के प्रत्येक 1000 हैक्टे0 क्षेत्र में एक एफएफएस । कुल एफएफएस = 0.13 लाख	17000 रूपए प्रति प्रशिक्षण की दर से सहायता
15	तकनीकी स्टाफ के अंतरराष्ट्रीय विगोपन दौरे ।	संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के लिए सीवाईएमएमआईटी, मेक्सिको का दौरा	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 1.0 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की दर से सहायता
16	सबसे बढ़िया काम करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार	कार्यनिष्पादन पर आधारित । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में एक जिला	5 लाख रूपए प्रति वर्ष (पूर्ण लागत)
17	स्थानीय पहलों के लिए सहायता	परियोजना आधारित	एनएफएसएम के दो अथवा अधिक घटकों वाले जिलों के लिए 11 वीं योजना अवधि के दौरान 2 करोड़ रूपए प्रति जिला और एनएफएसएम के केवल एक घटक वाले जिलों को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एक करोड़ रूपए प्रति जिला
18	विविध व्यय		पूर्ण लागत
	(क) जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल संबंधी व्यय और अन्य विविध व्यय		प्रति वर्ष प्रति जिला 6.38 लाख रूपए
	(ख) राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल संबंधी व्यय और अन्य विविध व्यय		प्रति वर्ष प्रति राज्य 13.87 लाख रूपए
	(ग) राष्ट्रीय स्तर पर विविध व्यय		प्रति वर्ष 84.56 लाख रूपए

एनएफएसएम–दलहन के घटकों के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र0सं0	घटक	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता का प्रतिमान
1	**बीज**		
	दालों के प्रजनक बीज का उत्पादक	आईसीएआर	परियोजना के आधार पर प्रति वर्ष 2.0 करोड़ रूपए का एकमुश्त अनुदान
	आईसीएआर से दालों के प्रजनक बीज की खरीद	राज्य कृषि विभाग/ एनएससी/ एसएफसीआई/केआरआईबीएचसीओ/ एनएएफईडी/आईएफएफसीओ/ राज्य बीमा निगम	बीज प्रभाग, डीएसी, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित समरूप दरों के अनुसार पूर्ण लागत
	दालों के आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	राज्य कृषि विभाग/ एनएससी/ एसएफसीआई/केआरआईबीएचसीओ/ एनएएफईडी/आईएफएफसीओ/ राज्य बीमा निगम	1000 रूपए प्रति क्विंटल
	प्रमाणित बीजों पर वितरण	राज्य कृषि विभाग/ एनएससी/ एसएफसीआई/केआरआईबीएचसीओ/ एनएएफईडी/आईएफएफसीओ/ राज्य बीमा निगम	लागत का 50 प्रतिशत या 1200 रूपए प्रति क्विंटल, जो भी कम हो
	राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को मजबूत बनाना	राज्य कृषि विभाग	25.00 लाख रूपए प्रति राज्य/प्रति वर्ष
2	**समेकित पोषक तत्व प्रबंधन**	राज्य कृषि विभाग या ऐसी एजेन्सी जिस पर एनएफएसएम की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।	लागत का 50 प्रतिशत या 1250 रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो, अर्थात 750 रूपए प्रति हैक्टेयर लाईम/जिप्सम के लिए तथा 500 रूपए प्रति हैक्टै0 लघु पोषकों के लिए
3	**समेकित कीट प्रबंधन**	राज्य कृषि विभाग या ऐसी एजेन्सी जिस पर एनएफएसएम की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।	लागत का 50 प्रतिशत या 750 रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो
4	**स्प्रिंकलर सेटों का वितरण**	राज्य कृषि विभाग या ऐसी एजेन्सी जिस पर एनएफएसएम की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।	लागत का 50 प्रतिशत या 7500 रूपए प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो

एनएफएसएम–दलहन के घटक के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र 0 सं0	घटक	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता प्रतिमान
5	जीरो टिल सीड ड्रिल्स		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 15000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता
6	मल्टीक्रोप प्लान्टर्स		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 15000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता
7	सीड ड्रिल		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 15000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता
8	रोटावेटर		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 30000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता
9	डीजल पम्प सैटो हेतु प्रोत्साहन		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 10000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता
10	नेपसेक स्प्रेयरस		लागत की 50% अथवा प्रति मशीन 3000/– रुपये, जो भी कम हो की दर पर सहायता

एनएफएसएम– दलहन के घटकों के लिए सहायता के प्रतिमान

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>घटक</th><th>कार्यान्वयन एजेंसी</th><th>सहायता प्रतिमान</th></tr>
<tr><td>11 क</td><td>सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों के लिए श्रेष्ठ पुरुस्कारों सहित विस्तार, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार अभियान</td><td>आईआईपीआर, कानपुर राज्य कृषि विभाग अथवा इस तरह की एजेंसी जोकि एनएफएसएम की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित की जा सकती है।</td><td>

प्रशिक्षुओं/किसानों को प्रशिक्षण देने सहित भारतीय दलहन अनुसधान संस्थान, आईसीएआर,कानपुर में दलहनों पर प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना विकास–1.0 करोड़ रु0 प्रति वर्ष
17000/– रुपये प्रति है0 की दर पर फार्मस फील्ड स्कूल की पद्धति पर किसान प्रशिक्षण–दलहनों के तहत लाये गये प्रत्येक 250 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर पूरे फसल मौसम के लिए 30 किसानों का एक प्रशिक्षण
प्रशिक्षुओ और विस्तार कार्मिकों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण–1.0 लाख रु0 प्रति प्रशिक्षण की दर पर दो दिन के लिए 50 प्रशिक्षणार्थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>विवरण</th><th>रुपये (दो दिन के लिए)</th></tr>
<tr><td>प्रशिक्षण समन्वयक के लिए मानदेय</td><td>1,000.00</td></tr>
<tr><td>व्याख्याताओं के लिए 500 रु0 प्रति व्याख्यान की दर पर मानदेय और सचिवालय स्टाफ</td><td>8,000.00</td></tr>
<tr><td>50 रु0 प्रति सहभागी की दर पर सहभागियों के लिए लेखन सामग्री(पेन, कापी, प्लास्टिक फोल्डर)</td><td>2,500.00</td></tr>
<tr><td>50 सहभागियों के लिए प्रति सत्र 10 रु0 प्रति सहभागी की दर पर दो दिन के लिए प्रशिक्षण के दौरान सुबह और शाम की चाय(इसमें आयोजकों और संसाधन स्पीकर्स का भी ध्यान रखा जायेगा)</td><td>2,000.00</td></tr>
<tr><td>श्रव्य–दृश्य उपकरणों(आडियों, विडियों ऐड) की तैयारी के लिए आकस्मिकता व्यय, व्याख्यानों की छायाप्रतियां, प्रेक्टिकल प्रशिक्षण और अन्य अप्रत्याशित खर्चों पर व्यय</td><td>10,500.00</td></tr>
<tr><td>100 रु0 प्रति व्यक्ति की दर पर 50 सहभागियों के लिए सहायक साहित्य की आपूर्ति</td><td>5,000.00</td></tr>
<tr><td>150 रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर 50 सहभागियों के लिए रहना और खाना</td><td>15,000.00</td></tr>
<tr><td>यात्रा व्यय (पात्रता के अनुसार वास्तविक)</td><td>56,000.00*</td></tr>
</table>
* राज्य के श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों के लिए दो वर्ष में एक बार पुरस्कार–5.0 लाख रुपए
</td></tr>
</table>

* यात्रा व्यय की आवश्यकताएं राज्य दर राज्य भिन्न–भिन्न होगी।

एनएफएसएम- दलहन के घटक के लिए सहायता का प्रतिमान

क्र0 सं0	घटक	कार्यान्वयन एजेंसी	सहायता प्रतिमान
11 ख	प्रजनक बीज उत्पादन के लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ,कानपुर की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना	आईआईपीआर(आईसी आर),कानुपर	आईआईपीआर के लिए 5 करोड़ रुपये
12	ब्ल्यू बुल(नील गाय) के गर्भाधान व्यवस्था संबंधी पाइलेट परियोजना/पीरियोजनाएं	राज्य कृषि विभाग	परियोजना आधार पर वित्त पोषण
13	दालों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईसीआरआईएसएटी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का प्रदर्शन	आईसीआरआईएसटएटी	परियोजना आधार पर वित्त पोषण
14	जिला स्तर पर संविधा संबधी सेवाएं, पीओएल, आकस्मिकता और अन्य खर्चों सहित परियोजना प्रबंधन दल से संबंधित विविध खर्च	राज्य कृषि विभाग	**राष्ट्रीय स्तरः** • संविदा आधार पर (दो) परामर्शक -प्रतिमाह 35,000/-रुपये मानदेय • संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्तरीय मानिटरिंग-प्रतिवर्ष 25.0 लाख रुपये मानदेय • राष्ट्रीय स्तरीय आकस्मिकता-वर्ष 2008-09 के लिए 55 लाख रुपये • मूल्यांकन -प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये (2008-09 से आगे) **राज्य स्तरः** • संविदा आधार पर एक परामर्शक-20,000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय • संविदा आधार पर दो तकनीकी सहायक-12,000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय • वाहन को किराए पर लेने, पीओएल आदि सहित विभिन्न खर्चों हेतु आकस्मिकता-10 लाख रुपये प्रति वर्ष **जिला स्तरः** • संविदा आधार पर एक परामर्शक-15,000/-रुपये प्रति माह मानदेय • संविदा आधार पर दो तकनीकी सहायक-8,000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय • वाहन को किराये पर लेने, पीओएल सहित विविध खर्चों हेतु आकस्मिकता-75,000/-रुपये प्रतिवर्ष

अनुबंध- IV

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यय योजना का ब्यौरा

विवरण	रुपये(दो दिनों के लिए)
प्रशिक्षण समन्वयक को मानदेय	1,000.00
प्राध्यापकों को प्रति व्याख्यान 500 रुपये की दर पर मानदेय एवं सचिवालय स्टाफ	8,000.00
भागीदारों को स्टेशनरी प्रति भागीदार 50/- रुपये की दर पर(पैन, कापी,प्लास्टिक फोल्डर्स)	2,500.00
दो दिनों के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रातःकालीन और सांय कालीन चाय 50 भागीदारों के लिए 10 रुपये प्रति भागीदार प्रति सत्र की दर पर (इससे आयोजकों और संसाधन प्रवक्ताओं का भी ध्यान रखा जाएगा)	2,000.00
एवी विज्ञापानों की तैयारी के लिए आकस्मिकताएं, व्याख्यानों की फोटोकापी, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर व्यय और अन्य अदृश्य खर्चे	10,500.00
50 भागीदारों को प्रति व्यक्ति 100 रुपये की दर समर्थक साहित्य की आपूर्ति	5,000.00
50 भागीदारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 रुपये की दर पर खाने-रहने का खर्च	15,000.00
यात्रा व्यय (पात्रता के अनुसार वास्तविक)	56,000.00
कुल	1,00,000.00

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर लगे परामर्शदाताओं और तकनीकी सहायकों के कार्य

17 राज्यों में प्रचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राज्य परामर्शदाताओं, जिला परामर्शदाताओं और वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को लगाने के लिए प्रावधान है। बहुत से राज्यों ने पहले ही नियुक्तियां कर दी है। हालांकि यह देखा गया है कि राज्य मिशन निदेशक मिशन के तहत दिये जाने वाले तकनीकी मानव श्रम सहायता की भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय परामर्शदाता:

क. योग्यता: एनएफएसएम दिशा-निर्देशों में निर्धारित के अनुसार।

ख. कार्य:

परामर्शदाता:

- मिशन में प्रस्तावित हस्तक्षेपों से संबंधित मामलों पर मिशन निदेशक को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- कार्ययोजना की प्रस्तुति के लिए मानकीकृत फारमेट विकसित करना।
- राज्यों को एनएफएसएम कार्य योजनाओं के नियोजन, निर्माण, जहां कहीं आवश्यक हो, में सहायता प्रदान करना।
- राज्यों से प्राप्त कार्य योजनाओं के संवीक्षण में एनएफएसएम स्टाफ को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक कार्यकलाप को पूरा करने के लिए निश्चित अवधि और संकेतकों की स्थापना करना।
- चावल, गेहूं और दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण।
- मिशन निदेशकों को डीएसी के अन्य प्रभागों; राज्य सरकारों; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों; आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी मोर्चे पर अन्य पणधारियों के साथ संवीक्षण और अभिसरण में सहायता देना।
- राज्यों में कार्य की प्रगति की मानिटरिंग के लिए दलों का गठन करना तथा उन्हें मानिटरिंग और मूल्यांकन करने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- राज्य परियोजना प्रबन्धन दल और जिला प्रबन्धन दल के कार्य का समन्वयन करना।
- तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए समय-समय पर राज्यों का दौरा करना।
- विशिष्ट केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के संचालन में सहायता करना।
- विभिन्न राज्यों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करना और कार्यकलापों के निष्पादन में जहां कहीं सुधार आवश्यक हो सुझाव देना।
- सफल कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार।
- सेल में कार्यरत तकनीकी स्टाफ को सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मिशन निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्य करना।

वरिष्ठ तकनीकी सहायकः

क. योग्यताः एन एफ एस एम दिशानिर्देशों में निर्धारित के अनुसार।

ख. कार्यः

- मिशन कार्यकलापों के प्रस्तावित कार्यों से संबंधित राज्यवार डाटा को प्राप्त, संकलन और विश्लेषण करना।
- विभिन्न मिशन कार्यकलापों के प्रासंगिक रिकार्ड/फाईल और डाटा का रख-रखाव करना।
- कार्य योजनाओं; के प्रस्तुतिकरण के लिए एकीकृत फारमेट के विकास में सहायता करना, मानिटरिंग और मूल्यांकन फारमेट ।
- प्रस्तावित हस्तक्षेपों के लिए कार्य योजना का संवीक्षण करना।
- मिशन कार्यकलापों की प्रगति के निर्धारण के लिए क्षेत्र का दौरा करना।
- एन एफ एस एम सेल के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी तकनीकी मामलों मे सहायता करना।
- समय-समय पर मिशन निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

राज्य परामर्शदाताः

ग. योग्यताः एन एफ एस एम दिशानिर्देशों में निर्धारित के अनुसार।

घ. कार्यः

1. एस ए यू, आई सी ए आर संस्थानों और जिन्स निदेशालयों के साथ सम्पर्क बनाना।
2. राज्य मे अम्लीय/क्षारीय मिट्टी की पहचान करना और रूपरेखा बनाना।
3. अधिदेशित फसलों की पैकेज पद्धति को अद्यतन करना और उसे राज्य/जिलों को उपलब्ध कराना।

जारी.....

4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों पर आधारित राज्य के लिए आदानों की आवश्यकता का निर्धारण।
5. एफ एफ एस के लिए प्रशिक्षण सामग्री और कार्यकलाप सूची का विकास।
6. फील्ड प्रदर्शन और उसके पर्यवेक्षण की योजना तैयार करना।
7. मौसम स्थिति, कीट और रोगों की घटना, मृदा स्थिति आदि पर उचित ध्यान देने के साथ उन्नत पद्धतियों/प्रौद्योगिकियों के कारण होने वाले पैदावार लाभों का विशलेषण और राज्य मिशन निदेशक को उसकी रिपोर्ट देना।
8. एन एफ एस एम कार्य में लगे फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण।
9. राज्य के लिए अधिदेशित फसलों की अच्छी फसल किस्मों/संकरों की पहचान।
10. एस ए यू, राज्य बीज निगम और राज्य कृषि विभाग के साथ विचार विमर्श से एनएफएसएम जिलों के लिए सीड रोलिंग प्लान का विकास।

11. राष्ट्र स्तरीय मानिटरिंग टीम के राज्यों के दौरे के दौरान इसके द्वारा अपेक्षित तकनीकी सूचना उपलब्ध कराना।
12. किसानों के लिए तकनीकी साहित्य/विस्तार सामग्रियों का विकास।

जिला परामर्शदाता:

क. योग्यता: एन एफ एस एम दिशानिर्देशों में निर्धारित के अनुसार।

ख. कार्य:

1. जिलों में स्थित के वी के और अन्य कृषि अनुसंधान संगठनों के साथ सम्पर्क।
2. जिले के मूल कृषि और संबद्ध सांख्यिकी का संग्रहण और रख-रखाव।
3. फील्ड प्रदर्शन और एफएफएस की योजना और पर्यवेक्षण करना और पैदावार, मौसम डाटा की रिपोर्ट राज्य मिशन निदेशक/राज्य परामर्शदाता को देना ।
4. जिला कृषि अधिकारी और राज्य परामर्शदाता के परामर्श से किसानों के लिए तकनीकी/विस्तार सामग्री का विकास।
5. एन एफ एस एम कार्यक्रम के लिए जिले की आदान आवश्यकता का निर्धारण।
6. अधिदेशित फसलों पर जोर देने के साथ उन्नत फसल उत्पादन पद्धतियों में जिला विस्तार स्टाफ को प्रशिक्षण।

तकनीकी सहायक

क. योग्यता: दिशानिर्देशों के अनुसार।

ख. कार्य:

1. पंचायत स्तरीय फील्ड विस्तार कार्मिकों की सहायता से फील्ड प्रदर्शन का संचालन।
2. राज्य/जिला स्तर पर परामर्शदाताओं को उनके लिए निर्धारित कार्यों को करने में उन्हें सहायता करना।
3. फसल स्थिति, कीट/कृमि की प्रमुख घटना, पोषण की कमी की मानिटरिंग करना और जिला परामर्शदाता को रिपोर्ट करना।